



Bureau of Energy Efficiency

Ministry of Power, Government of India

Distribution Transformer

Short Title	Clause of EC Act, 2001	Notification/ Regulation/ Amendment & Date	Reference IS/ IEC Standards
Amendment V	14(a)	S.O. 5247(E) dated 08 th December 2023	IS 1180 (Part I): 2014,
New Regulation	14(d)	No. BEE/S&L/DT/01/22-23 dated 29 th December 2022	
Amendment IV	14(a)	S.O. 5(E) dated 02 nd January 2023	
Amendment III	14(a)	S.O.1665(E) dated 27 th May,2020	
Amendment II	14(a)	S.O.513(E) dated 17 th February, 2017	
Amendment I	14(a)	S.O.4062 (E) dated 16 th December, 2016	
Principal Notification	14(a)	S.O.185(E) dated 12 th January, 2009	IS 2026 (Part I, II & III): 1977
Principal Notification	14(b)	S.O.184(E) dated 12 th January, 2009	
Principal Notification	14(d)	No. 2/11(5)/03-BEE-3 dated 6 th July 2009	



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122023-250565
CG-DL-E-11122023-250565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5018]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2023/अग्रहायण 20, 1945

No. 5018]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2023/AGRAHAYANA 20, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5247(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 185 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 में आगे और संशोधन करती है, जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा जाएगा, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के उप-पैरा (2) की,-

(क) सारणी 2 में, अंक "2023" के स्थान पर अंक "2024", रखे जाएंगे;

(ख) सारणी 3 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

" सारणी 3 (1 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2024 तक विधिमान्य)

11 केवी वर्ग तक मानक हानि वाट में (200 केवीए से ऊपर स्तर के लिए)

स्तर (केवीए)	प्रतिबाधा %	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		स्तर 4		स्तर 5	
		50% भार	100% भार	50% भार	100% भार	50% भार	100% भार	50% भार	100% भार	50% भार	100% भार
250	4.5	980	2930	920	2700	864	2488	811	2293	761	2113
315	4.5	1025	3100	955	2883	890	2681	829	2494	772	2319
400	4.5	1225	3450	1150	3330	1080	3214	1013	3102	951	2994
500	4.5	1510	4300	1430	4100	1354	3909	1282	3727	1215	3554

630	4.5	1860	5300	1745	4850	1637	4438	1536	4061	1441	3717
1000	5	2790	7700	2620	7000	2460	6364	2310	5785	2170	5259
1250	5	3300	9200	3220	8400	3142	7670	3066	7003	2991	6394
1600	6.25	4200	11800	3970	11300	3753	10821	3547	10363	3353	9924
2000	6.25	5050	15000	4790	14100	4543	13254	4309	12459	4088	11711
2500	6.25	6150	18500	5900	17500	5660	16554	5430	15659	5209	14813”

[फा. सं. 10/8/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 185(अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 4062(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2016, का.आ. 513(अ) तारीख 17 फरवरी, 2017, का.आ. 1665(अ), तारीख 27 मई, 2020 और का.आ. 5(अ), तारीख 2 जनवरी, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2023

S.O. 5247(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 185(E), dated the 12th January, 2009, hereinafter referred to as said notification, namely:-

In the said notification, in sub-paragraph (2) of paragraph 2,

- (a) In Table 2, for the figures “2023” the figures “2024”, shall be substituted;
(b) for the Table 3, the following Table shall be substituted, namely :-

“ Table 3 (Validity from 1st July 2017 to 31st December, 2024)

Standard Losses in watts up to 11 KV Class (For ratings above 200 kVA)											
Rating (kVA)	% Impedance	1 Star		2 Star		3 Star		4 Star		5 Star	
		50% Load	100% Load	50% Load	100% Load	50% Load	100% Load	50% Load	100% Load	50% Load	100% Load
250	4.5	980	2930	920	2700	864	2488	811	2293	761	2113
315	4.5	1025	3100	955	2883	890	2681	829	2494	772	2319
400	4.5	1225	3450	1150	3330	1080	3214	1013	3102	951	2994
500	4.5	1510	4300	1430	4100	1354	3909	1282	3727	1215	3554
630	4.5	1860	5300	1745	4850	1637	4438	1536	4061	1441	3717
1000	5	2790	7700	2620	7000	2460	6364	2310	5785	2170	5259
1250	5	3300	9200	3220	8400	3142	7670	3066	7003	2991	6394
1600	6.25	4200	11800	3970	11300	3753	10821	3547	10363	3353	9924
2000	6.25	5050	15000	4790	14100	4543	13254	4309	12459	4088	11711
2500	6.25	6150	18500	5900	17500	5660	16554	5430	15659	5209	14813.”

[F. No. 10/8/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 185(E), dated the 12th January, 2009, and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4062(E), dated the 16th December, 2016, S.O. 513(E), dated the 17th February, 2017, S.O. 1665(E), dated the 27th May, 2020 and S.O. 5(E), dated the 2nd January, 2023.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012023-241619
CG-DL-E-03012023-241619

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707]
No. 707]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2022/पौष 8, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2022/PAUSHA 8, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

सं. बीईई/एस एंड एल/डीटी/01/22-23. - ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित अधिसूचना संख्यांक बीईई/एसएण्डएल/डीटी/01/2022-23 द्वारा प्रारूप विनियम अर्थात् , ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे :

उक्त प्रारूप विनियम की प्रतियां जनता को तारीख 25 अगस्त, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थी;

उक्त प्रारूप विनियमों के बावत पूर्वोक्त अवधि के भीतर आक्षेप प्राप्त किए गए थे;

इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया है;

अब, अतः ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ढ) और धारा 14 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) (संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "वितरण ट्रांसफार्मर" का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अधीन अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट एक साधित्र है;

(ग) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "लेबल" से वितरण ट्रांसफार्मर पर चिपकाई गई या संप्रदर्शित लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;

(ङ.) "लेबल की अवधि" के अभिप्रेत है सापेक्ष ऊर्जा दक्षताओं की विधिमान्यता अवधि या हानि के मानक जो धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वितरण ट्रांसफार्मर के 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत भारण पर कुल हानि है और यदि सापेक्ष ऊर्जा दक्षता या हानि मानकों की विधिमान्यता अवधि की समाप्ति अवधि अधिसूचित नहीं की गई है, इसे तब तक विधिमान्य माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए नए मान अधिसूचित नहीं किए जाते हैं;

(च) "अनुज्ञापत्रधारी" से ऐसे व्यक्ति या ऐसी अभिकरण से अभिप्रेत है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई है;

(छ) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची है;

(ज) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन वितरण ट्रांसफार्मर के लेबल पर ऊर्जा दक्षता का श्रेणी जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत भारण के आधार पर सापेक्ष ऊर्जा दक्षता या हानि का मानक संप्रदर्शित किया जाता है, जो वितरण ट्रांसफार्मर के लेबल पर वितरण ट्रांसफार्मर की 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत भारण पर होने वाली कुल हानि है;

(झ) लेबल लगे वितरण ट्रांसफार्मर के संबंध में "व्यापारी या विक्रेता" से व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे वितरण ट्रांसफार्मर की विक्रय या वितरण करता है और इसमें ऐसे दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और वितरण ट्रांसफार्मर पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा प्राप्त अनुज्ञापत्रधारी सम्मिलित हैं।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

3. लेबल पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां । (1) प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर पर, इसके लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां संप्रदर्शित की जाएंगी, अर्थात्-

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;

(ख) उपस्कर;

(ग) प्रकार;

(घ) मेक या विनिर्माता या आयातक;

(ङ) मॉडल / विनिर्माण वर्ष;

(च) किलो वोल्ट एंपियर में ट्रांसफार्मर क्षमता;

(छ) केवी में वोल्टेज;

(ज) वाट में पचास प्रतिशत भारण पर कुल हानियां;

(झ) वाट में सौ प्रतिशत भारण पर कुल हानियां;

(ञ) विशेष श्रृंखला कोड;

(ट) स्टार स्तर;

(ठ) लेबल की अवधि;

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा: विनिर्दिष्ट होगा।

4. लेबलों के संप्रदर्शन के लिए समय-सीमा।

(1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों वाला लेबल इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर पर संप्रदर्शित किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित ऊर्जा खपत मानकों के आरंभ होने पर और आरंभ होने से, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी या व्यापारी या विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि-

(क) पूर्ववर्ती ऊर्जा खपत मानकों के साथ वितरण ट्रांसफार्मर का उत्पादन नहीं करेंगे;

(ख) पुनरीक्षित ऊर्जा खपत मानकों के साथ तुल्यकालन में पुनरीक्षित स्टार स्तर और पुनरीक्षित लेबल अवधि संप्रदर्शित किए जाएंगे और वितरण ट्रांसफार्मर के विनिर्माण वर्ष संप्रदर्शित किए जाएंगे।

(ग) डीलरों, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए उनकी जागरूकता के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित आवश्यक प्रारंभिक उपाय नियोजित और निष्पादित किए जाएंगे।

5. लेबल संप्रदर्शित करने की रीति-

(1) प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर पर, लेबल पर निम्नानुसार मुहर लगाई जाएगी, अर्थात्:-

(i) लेबल को इकाई के सामने के संप्रदर्शन पर चिपकाया जाएगा और यह विनियम 3 के उप-विनियम (2) में यथानिर्दिष्ट आसानी से दिखाई देना चाहिए और अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि लेबल प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत इकाई या मॉडल पर पहचान के उद्देश्य से, बिक्री या किराए की जगह पर संप्रदर्शित होता है और लेबल को इकाई या मॉडल आवरण के बाहरी वाले भाग में मुद्रित किया या चिपकाया जाएगा।

(ii) संप्रदर्शन न करने वाली इकाइयों के लिए, लेबल मुद्रित किया जा सकता है या इसे बाहरी आवरण पर चिपकाया जा सकता है और जब इकाई या मॉडल को उसकी पैकेजिंग से बाहर निकाल लिया जाता है तो यह लेबल इकाई या मॉडल से जुड़ा हो सकता है या लेबल को ग्राहक या प्रयोक्ता को दिए गए दस्तावेज़ीकरण के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

6. लेबल संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा-(1) ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा के बिना वितरण ट्रांसफार्मर पर कोई स्टार नहीं चिपकाया जाएगा।

(2) कंपनी रजिस्ट्रीकरण - ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड को एक लाख रुपए के लेबल प्रतिभूति फीस के साथ, अलग से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जैसा कि प्ररूप 1 - (क) में यथाविनिर्दिष्ट किया गया है, संदाय के इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा देय है :

बशर्ते कि लघु उद्योग के मामले में, लेबल प्रतिभूति फीस केवल पच्चीस हजार रुपए होगा।

(3) मॉडल रजिस्ट्रीकरण - उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी के प्रत्येक आवेदन के साथ-

(क) संदाय की इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा देय प्रति मॉडल दो हजार रुपए की आवेदन फीस; तथा

(ख) प्ररूप-1 - (ख) में यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज

7. अनुज्ञा प्रदान करना - (1) विनियम 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और यह समाधान होने के पश्चात् कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो मानक और लेबलिंग पर इस मैनुअल में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विनियम 8 में यथा: विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन के लिए अनुज्ञा दे सकेगा।

(क) प्ररूप 2-(क) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्रांड रजिस्टर करना; तथा

(ख) प्ररूप 2-(ख) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में वितरण ट्रांसफार्मर पर लेबल लगाने की अनुज्ञा देना।

(2) ब्यूरो द्वारा प्ररूप-3 में रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा और इसमें अनुज्ञापत्रधारी का नाम प्रविष्ट किया जाएगा;

(3) उप-विनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अवधि तक विधिमान्य होगी जो धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन

केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा: अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा स्टार स्तर के लिए विनिर्दिष्ट की गई है;

(4) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा स्टार रेटिंग योजना के पुनरीक्षण के मामले में, अनुज्ञा के नवीनीकरण का आवेदन इसकी समाप्ति से एक मास से पहले तक नहीं किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक ढंग में देय एक हजार रुपए की फीस होगी।

परंतु स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, उक्त नवीनीकरण के एक हजार रुपए की फीस से छूट दी जाएगी।

(5) विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा और अनुज्ञापत्रधारी को नया आवेदन पत्र देना होगा;

(6) उप- विनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन के प्राप्त होने पर और यह समाधान होने के पश्चात् कि सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर प्ररूप-2 में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकेगा;

(7) अनुज्ञापत्रधारी जो उस तारीख से वितरण ट्रांसफार्मर के विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा की मांग करता है, जिससे पुनरीक्षित स्टार स्तर प्रवृत्त हुआ है, केवल प्ररूप 4 में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;

(8) अनुज्ञापत्रधारी नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेगा, यदि वितरण ट्रांसफार्मर नए मॉडल की पुनरीक्षित स्टार स्तर के साथ तुल्यकालन की योजना है और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन पुनरीक्षित स्टार स्तर के प्रवृत्त होने के छह माह पूर्व में किया जाएगा।

8. लेबल पर विशिष्टियां संप्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें:- प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता लेबल पर विशिष्टियां संप्रदर्शित करने में निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात्-

(क) वितरण ट्रांसफार्मर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वितरण ट्रांसफार्मर के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होंगे;

(ख) यह लेबल वितरण ट्रांसफार्मर के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा ली गई है;

(ग) लेबल को अनुज्ञापत्रधारी लागत पर वितरण ट्रांसफार्मर पर मुद्रित और चिपकाया जाएगा;

(घ) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि वितरण ट्रांसफार्मर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर सभी समय बना रहेगा;

(ङ) अनुज्ञापत्रधारी विनियम 9 में यथा विनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा;

(च) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो को विवरण देगा जिसमें लेबल लगे उपस्करों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भूत लेबलिंग फीस का विवरण हो;

(छ) अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो को अपने लेबल और लगे उत्पादों अद्यतन की बिक्री के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को प्राधिकृत वितरकों, डीलरों और खुदरा विक्रेताओं और विक्रेताओं की अद्यतन सूची देगा; और

(ज) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का पालन करेंगे जो ब्यूरो, मानक और लेबलिंग पर ब्यूरो के मैनुअल में अंतर्विष्ट सहित विनिर्दिष्ट करेगा।

9. लेबल फीस - (1) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो को वितरण ट्रांसफार्मर पर प्रत्येक चिपकाए गए लेबल के लिए सौ रुपए की फीस का संदाय करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से किया जाएगा;

परंतु यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस के संदाय की असफलता पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन प्रतिभूति फीस से प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से इस पर ब्याज का संदाय करेगा और यदि इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर लेबलिंग फीस वसूल नहीं की जाती, ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को प्रदत्त सभी अनुज्ञा रद्द कर सकेगा और अनुज्ञापत्रधारी का नाम व्यतिक्रम के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकेगा।

10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदाय - विनियम 9 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अधीन, अनुज्ञापत्रधारी वितरण ट्रांसफार्मर का विनिर्माण बंद होने पर लेबल प्रतिभूति फीस के प्रत्यर्पण का हकदार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन - (1) ब्यूरो या इसके अभिहित अभिकरण, स्वयमेव या इसे शिकायत प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि वितरण ट्रांसफार्मर इसके लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर और अन्य विशिष्टियों के अनुरूप है और कि यह अनुज्ञा के अन्य निबंधनों और शर्तों के अनुपालन में है।

(2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो या विनिर्माता सुविधा से इसकी अभिहित अभिकरण, द्वारा जैसे यह उचित समझे, भण्डारगृह या खुदरा विक्रय केन्द्र से निम्नलिखित शर्तों के अधीन यादृच्छिक तौर नमूने एकत्र करेगा;

(क) वाइंडिंग प्रतिरोध परीक्षण का मापन;

(ख) प्रतिबाधा वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट प्रतिबाधा और लोड हानि का मापन;

(ग) नो-लोड हानि और वर्तमान परीक्षण का मापन;

(घ) तापमान वृद्धि परीक्षण; और

(ड.) शॉर्ट सर्किट परीक्षण।

(3) जहां उप- विनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, ब्यूरो द्वारा परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला के वितरण ट्रांसफार्मर के परीक्षण को चुनौती देकर सत्यापन करना अपेक्षित है, अनुज्ञापत्रधारी को ऐसे परीक्षण के निष्पादन के लिए प्ररूप 5 में नोटिस पारित किया जाएगा और शिकायतकर्ता को ब्यूरो के पास नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन संबंधी व्यय और अन्य आकस्मिक व्यय, ऐसी समयावधि में जमा कराने की मांग करेगा जो ब्यूरो द्वारा अवधारित की जाए परंतु परीक्षण के अधीन लिए गए नमूने असफल रहते हैं, ब्यूरो को नमूने लेने, नमूने के परिवहन और परीक्षण प्रभारों की लागत के लिए सभी व्यय की प्रतिपूर्ति अनुज्ञापत्रधारी द्वारा वहन की जाएगी और ब्यूरो उल्लिखित व्यय का प्रतिदाय शिकायतकर्ता को करेगा और जहां उपस्कर चुनौती परीक्षण पर खरे उतरते हैं, तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए व्यय संप्रहित कर लिए जाएंगे;

(4) जहां परीक्षण के लिए वितरण ट्रांसफार्मर के नमूने स्वयमेव परीक्षण या चुनौती परीक्षण के दौरान परीक्षण में असफल रहते हैं, अनुज्ञापत्रधारी को एक अन्य अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो, अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रथम परीक्षण में प्रयुक्त वितरण ट्रांसफार्मर के दो गुने परिमाण में दूसरा परीक्षण करेगा और ब्यूरो उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट चुनौती परीक्षण या उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट दूसरे परीक्षण और नमूने की खरीद और परीक्षण के लिए किए जाने वाले खर्चों को देखने के लिए प्ररूप 5 में अनुज्ञापत्रधारी को सूचित करेगा।

(5) जहां, दूसरा परीक्षण असफल होता है, ब्यूरो,-

(क) प्ररूप 6, में अनुज्ञापत्रधारी को सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को निदेश देगा कि अनुज्ञापत्रधारी दो मास की अवधि के भीतर,

i. वितरण ट्रांसफार्मर के लेबल पर सही स्टार स्तर संप्रदर्शित करेगा या परीक्षण के दौरान त्रुटियों और कमियों को दूर करेगा;

ii. ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा; और

iii. विज्ञापित सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा।

(ख) उपभोक्ताओं के फायदे के लिए, दो मास के भीतर अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिर्दिष्टता किसी दैनिक राष्ट्रीय या प्रादेशिक समाचारपत्र या किसी इलेक्ट्रॉनिक या यथोचित किसी अन्य रीति से प्रकाशित करेगा; और

(ग) संबंधित राज्य अभिहित अभिकरण को इसी अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरुद्ध न्यायिक कानूनी कार्रवाई करने की सूचना दें।

(6) उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि समाप्त होने के दस दिनों के भीतर,-

- (क) ब्यूरो को निदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप 7 में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा, और
- (ख) यदि खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निदेश का पालन किए बिना प्राप्त होती है, इसे जारी निदेशों का अनुपालन समझा जाएगा और ब्यूरो द्वारा इस आशय का आदेश किया जाएगा।
- (7) ब्यूरो अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को विनियम-(6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट और खण्ड (ख) में पारित आदेशों की प्रति, आवश्यक दस्तावेजों सहित भेजेगा और उक्त उप-विनियम के खण्ड (ख) के अधीन पारित आदेशों का प्रवर्तन करेगा;
- (8) जहां अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (5) के अधीन पारित किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचना देते हुए -

(क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को प्रदत्त अनुज्ञा वापस ले लेगा;

(ख) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप करने के लिए, अनुज्ञापत्रधारी द्वारा असफलता के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ, ब्यूरो के निदेश निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए उप विनियम (6) के खंड (क) में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजे।

(ग) उपभोक्ताओं के फायदे के लिए, दो मास के भीतर, किसी राष्ट्रीय या प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति से जैसा उचित समझा जाए, अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्देशन प्रकाशित करेगा; और

(घ) संबंधित राज्य अभिहित अभिकरणों को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरुद्ध आगे न्यायनिर्णयक कार्रवाई आरंभ करने के लिए सूचित करेगा।

12. अनुज्ञा रद्द करना - ब्यूरो विनियम 7 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञापत्रधारी -

- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निबंधनों और शर्तों का पालन नहीं करता;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय नहीं करता;
- (ग) विनियम 11 के अधीन पारित निदेशों का अनुपालन नहीं करता; और
- (घ) परंतु कोई भी अनुज्ञा अनुज्ञापत्रधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं की जाएगी।

प्ररूप I - (क)

[विनियम 6 (2) देखें]

(कंपनी के लेटर हेड में प्रिंट किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अधीन वितरण ट्रांसफार्मर के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदने

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066

भारत

मैं / हम जो वितरण ट्रांसफार्मरों के विनिर्माणकर्ता हूँ / हैं में (कारोबार का पूरा नाम) अभिनाम से

(व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) कारोबार चला रहा हूँ। चला रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2022 के अधीन उपाबंध में परिभाषित वितरण ट्रांसफार्मरों के संबंध में ब्यूरो द्वारा विहित लेबल के उपयोग के लिए प्राधिकार के समनुदेशन के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं।

2. उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा और संदाय के संबंध में जानकारी के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं। फर्मों या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार उद्योग निदेशक (लघु उद्योग की इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र या फर्म के नाम तथा इसके विनिर्माणकारों परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटो प्रति संलग्न की जाती है।

क) आवेदक/ प्राधिकृत व्यक्ति : _____ को (नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म आदि की ओर से इस आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता और अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।

ख) संपर्क व्यक्ति : _____ को (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है।

ग) मैं/हम उपरोक्त (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।

3. मेरे / हमारे ज्ञान जानकारी और प्राक्कलन के अनुसार, उक्त उपस्कर का उत्पादन और विक्रय संबंधी आंकड़े और उनका मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपस्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
अंतिम वर्ष से तक			
वर्तमान वर्ष..... से			
तक वर्ष (प्राक्कलन)			

4. यथास्थिति एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए का लेबल प्रतिभूति फीस, इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा संदाय किया गया है (केवल लेबल प्रतिभूति फीस जमा करने के समय ही भरा जाना है)।

5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस का संदाय करने को सहमत हूँ/हैं।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई जांच किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूँ/हैं।

7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।

8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।

तारीखदिन(वर्ष)

हस्ताक्षर

ना.....

पदनाम

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध
(प्ररूप 1 – (क) का पैरा 2 देखें)

1. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
रजिस्ट्रीकरण का समर्थन करने के लिए संलग्नक:	हां / नहीं
(क) विनिर्माण या व्यावसाय परिसर के नाम और पते को अधिप्रमाणित करने वाला दस्तावेज़	
(ख) व्यापार चिह्न प्रमाण पत्र	
(ग) लघु उद्योग प्रमाणपत्र, यदि प्रवृत्त हो	
(घ) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र	
(ड.) प्राधिकृत हस्ताक्षरी पत्र	
(च) भारतीय मानक अनुज्ञप्ति ब्यूरो, यदि प्रवृत्त हो	
(छ) संदाय के लिए संदाय रसीद ऑनलाइन की जाती है	

2. विनिर्माण परिसर के ब्यौरे (एक से अधिक विनिर्माण सुविधाओं के मामले में एक अलग सारणी प्रदान की जा सकती है)

विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ईमेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य ब्यौरे (यदि कोई हो)	

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से.....

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 1 - (ख)
[विनियम 6 देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अधीन वितरण ट्रांसफार्मर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा हेतु आवेदन

महा निदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066

भारत

मैं / हम जो वितरण ट्रांसफार्मरों के विनिर्माणकर्ता हूँ / हैं में (कारोबार का पूरा नाम) अभिनाम से (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) कारोबार चला रहा हूँ। चला रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2022 के अधीन उपाबंध में परिभाषित वितरण ट्रांसफार्मरों के संबंध में ब्यूरो द्वारा विहित लेबल के उपयोग के लिए प्राधिकार के समनुदेशन के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं।

2. उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा और संदाय के संबंध में जानकारी के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं। फर्मों या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार उद्योग निदेशक (लघु उद्योग की इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र या फर्म के नाम तथा इसके विनिर्माणकारों परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटो प्रति संलग्न की जाती है।

3. जानकारी का ब्यौरा: उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परिरक्षण के लिए प्रमाणपत्र उत्पाद लेबल से संबंधित जानकारी के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं। फर्मों या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार / उद्योग निदेशक (लघु उद्योग की इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र या फर्म के नाम तथा इसके विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटो प्रति संलग्न की जाती है।

क) आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति : _____ को (नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म आदि की ओर से इस आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता और अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।

ख) संपर्क व्यक्ति : _____ को (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है।

ग) मैं/हम उपरोक्त (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।

4. मानकों से अनुरूपता : मैं/हम _____ (उपस्कर का नाम) के लिए _____ को (अधिजानकारी का शीर्षक) के संबंध में अधिजानकारी में यथा: विनिर्दिष्ट भा.मा. /अन्य (मानक का नाम और संख्या) _____ के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली / अन्य मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो / अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करता हूँ। उपरोक्त उपस्कर के संबंध में अनुज्ञप्ति/प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाती है।

मैंने / हमने, उपस्कर की गुणवत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक प्रयोगशाला _____ या एनएचएल द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला _____ (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण हेतु व्यवस्था कर ली है।

स्वतंत्र प्रयोगशाला के ब्यौरे :

क) परीक्षण विशिष्टियां (परीक्षण की प्रक्रिया / नाम / संख्या)

ख) प्रत्यायन की स्थिति :

ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :

5. मेरे / हमारे ज्ञान और प्राक्कलन के अनुसार, उक्त उपस्कर के उत्पादन और विक्रय के आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	साधित्र का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
अंतिम वर्ष से तक			
वर्तमान वर्ष..... से वर्ष तक (प्राक्कलन)			

6. (क) इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा दो हजार रुपए की आवेदन फीस संदाय की गई।

(ख) एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए की लेबल प्रतिभूति फीस का संदाय इलेक्ट्रॉनिक ढंग द्वारा किया गया है।

(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट की लेबलिंग फीस का संदाय करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करता हूँ / करते हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी जांच की दशा में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूँ/हैं।

8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।

9. मैं/हम वचनबद्ध करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे / हमारे ज्ञान के अनुसार सही है और यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है; आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख दिन (वर्ष)

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

.....के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध

[प्ररूप 1 - (ख) का पैरा 3 देखें]

जानकारी के ब्यौरे

1. उत्पाद/ उपस्कर के ब्यौरे

1.1 साधारण

उपस्कर
प्रकार (उदाहरण के लिए, प्राकृतिक रूप से ठंडा किया गया तेल भरा हुआ)
मॉडल का नाम / संख्या
विनिर्माता/आयातक का नाम
ट्रांसफार्मर क्षमता के वीए
वोल्टेज

विनिर्माण का मास और वर्ष
50 प्रतिशत भारण वाट पर कुल हानियां
100 प्रतिशत वाट पर कुल हानियां

1.2 तकनीकी ब्यौरे

क्र. सं.	मॉडल का नाम/नंबर	मापा गया मूल्य				रेटेड मूल्य		स्टार रेटिंग
		भार हानि रहित (वाट)	भार हानि (वाट)	कुल हानियां		कुल हानियां		
				50 प्रतिशत का भारण	100 प्रतिशत का भारण	50 प्रतिशत का भारण	100 प्रतिशत का भारण	

2. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

3. विनिर्माण परिसर के ब्यौरे

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	

अन्य कोई ब्यौरा	
प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

4. परीक्षण प्रयोगशाला के ब्यौरे

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन प्रास्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
प्रत्यायन की विधिमान्यता (समर्थन दस्तावेज संलग्न करें)	
प्रत्यायन का विस्तार	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	


5. लेबलिंग जानकारी

प्रवृत्त होने की तारीख	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए आवेदन किए गए लेबलों की संख्या पहले वर्ष के लिए – दूसरे वर्ष के लिए – तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पादन क्र.संसेतक

6. संदाय के ब्यौरे

	कुल रकम	संदाय के ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक संदाय के ब्यौरे)
आवेदन फीस प्रतिभूति जमा		

7. वितरण ट्रांसफार्मर पर लगाए जाने वाला मुद्रित लेबल का नमूना नीचे दर्शाया गया है



तारीख.....

हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम

.....के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 2 – (क)

[उप-विनियम 7 (1) (क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अधीन वितरण ट्रांसफार्मर के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा

नई दिल्ली, तारीख

प्रति,

.....

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अनुसरण में विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में ब्यूरो आपको इस पत्र के उपाबंध में उपवर्णित अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसार अपने ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा देता है।

2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अधीन है —

(क) वितरण ट्रांसफार्मर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम के धारा के 14 खंड (क) और उपरोक्त विनियमों में उपबंधित

किए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिसूचित वितरण ट्रांसफार्मर के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;

(ख) वितरण ट्रांसफार्मर के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल की मोहर लगाना जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है;

(ग) अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर वितरण ट्रांसफार्मर पर लेबल का मुद्रण और चिपकाना;

(घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करता है कि वितरण ट्रांसफार्मर पर संप्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;

(ङ.) ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करने वाला अनुज्ञापत्रधारी;

(च) अनुज्ञापत्रधारी, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत के आगामी मास के प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरे और उद्भूत लेबल फीस का विवरण ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा और वही ब्यौरे को स्वाचालित प्रणाली से भी प्रस्तुत किए जाएंगे;

(छ) अनुज्ञापत्रधारी वितरण ट्रांसफार्मर के ऐसे अन्य ब्यौरे ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है।

3. अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के सिवाय, विधिमान्यता अवधि के दौरान बाजार से रजिस्ट्रीकृत ब्रांड और वितरण ट्रांसफार्मर को वापस नहीं लेगा।

4. ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड है और उसे अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर प्रकट होना चाहिए।

5.तारीखमास..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप 2 – (क) का पैरा 1 देखें]

अनुमोदन के ब्यौरे

1. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	

2. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम :
3. विशिष्ट श्रृंखला कोड :
4. अन्य ब्यौरे, यदि प्रवृत्त हो तो :

तारीख :

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 2 (ख)

[उप-विनियम 7(1)(ख) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अधीन वितरण ट्रांसफार्मर पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा / अनुज्ञा का नवीनीकरण

नई दिल्ली, तारीख

प्रति,

.....


.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसरण में ब्यूरो आपको इस पत्र के उपाबंध में उपवर्णित अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसार चिपकाने की अनुज्ञा दी गई थी।
2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अधीन है —
 - (क) वितरण ट्रांसफार्मर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा के 14 खंड (क) और उपरोक्त विनियमों में उपबंधित किए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिसूचित वितरण ट्रांसफार्मर के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;
 - (ख) लेबल केवल वितरण ट्रांसफार्मर के ऐसे मॉडल पर लगाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है;
 - (ग) लेबल, अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर मुद्रित किया और वितरण ट्रांसफार्मर पर चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि वितरण ट्रांसफार्मर पर संप्रदर्शित स्टार स्तर सभी समय बना रहेगा;
 - (ङ.) अनुज्ञापत्रधारी प्रति लेबल सौ रुपए का फीस का संदाय करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत के आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरे और उदभूतदेय लेबल फीस का विवरण ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा और वही ब्यौरे को स्वाचालित प्रणाली से भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी वितरण ट्रांसफार्मर के ऐसे अन्य ब्यौरे ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है।
3. यह अनुज्ञा सेतक विधिमान्य होगी और उसका यथाविहित नवीकरण कराया जा सकता है। अनुज्ञापत्रधारी बाजार से अनुज्ञा की विधिमान्यता अवधि के दौरान ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के सिवाय वितरण ट्रांसफार्मर को वापस नहीं लेगा।
4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उपस्कर के लिए समनुदेशित विशेष लेबल श्रृंखला है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार यह लेबल पर स्पष्ट रूप से प्रकट होना चाहिए।
5. जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनर्विलोकन स्टार स्तर योजना में उपांतरण किया गया है, वितरण ट्रांसफार्मर का स्टार स्तर निम्नानुसार उपांतरित होगा : -

2. लेबल के ब्यौरे

उपस्कर	
प्रकार	
विनिर्माता / आयातक / ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम / संख्या	
विविनिर्माण का वर्ष	
ट्रांसफार्मर क्षमता केवीए	
वोल्टेज	
स्टार स्तर	
लेबल की अवधि	
50 प्रतिशत भारण वाट पर कुल हानियां	
100 प्रतिशत वाट पर कुल हानियां	
विशिष्ट श्रृंखला कोड	

3. वितरण ट्रांसफार्मर पर लगाया जाने वाला ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेबल का नमूना, जो नीचे दर्शाया गया है :



पत्र में दी गई विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख वितरण ट्रांसफार्मर पर लगाए गए लेबल में किया जाता है।

4. लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली डिजाइन, आकार, रंग स्कीम और लेबल की अंतर्वस्तु तथा ब्यूरो लोगो की रंग स्कीम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

.....के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 3

[विनियम 7 के उप-विनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अनुज्ञापत्रधारी के रजिस्टर

(टेम्प्लेट)

क्र. सं.	आवेदन सं. और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञापत्रधारी का नाम और ब्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन सं., फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उपस्कर के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है	घोषित स्टार स्तर या दक्षता स्तर की	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुज्ञा संख्या और विशिष्ट लेबल शृंखला	अवधि जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल प्रतिभूति फीस की रकम	इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख:) से प्राप्त लेबल प्रतिभूति फीस	प्राप्त आवेदन फीस की रकम	इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख:) से प्राप्त आवेदन फीस की रकम के ब्यौरे
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए देय फीस के लेबलिंग की रकम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष (इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख:) के लिए प्राप्त ब्यौरे की लेबलिंग फीस	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप 4

[विनियम 7 के उप-विनियम (7) देखें]

अनुज्ञापत्रधारी द्वारा विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा जारी रखने की घोषणा करते हुए

(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध सहित एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(निगमित निकाय / अनुज्ञापत्रधारी के शीर्षनामा पर)

तारीख :

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066

भारत

विषय : से प्रभावी स्टार स्तर में पुनरीक्षण के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) के जरिए लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

1. मैं/हम [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] की शैली में [कंपनी का नाम, पूरे पते सहित] में व्यापार करने वाला/वाले वितरण ट्रांसफार्मर का/के विनिर्माता/ आयातक हूं/ हैं और एतद्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट वितरण ट्रांसफार्मर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसमें..... से स्टार स्तर में पुनरीक्षण होगा।

2. उपरोक्त उपस्कर [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित है और इसका (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया गया है या (आयातक का नाम और पता) से आयात किया गया है।

3. नए स्टार स्तर के लिए अनुरूपता : मैं/हम वितरण ट्रांसफार्मर के लिए अधिसूचना का. आ. सं. तारीख को स्वीकार करते हैं। उपरोक्त उपस्कर के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुमोदन की प्रति (जिसे पूर्व में अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।

4. वितरण ट्रांसफार्मर के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्तर (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की प्रति संलग्न है।

5. स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार उपस्कर/मॉडल के ब्यौरे

मॉडल का नाम -

विशिष्टियां	घोषित मान	
ट्रांसफार्मर क्षमता केवीए		
वोल्टेज		
50 प्रतिशत भारण वाट पर कुल हानियां	--	
100 प्रतिशत वाट पर कुल हानियां	--	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार स्तर के अनुसार)	(पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुसार)

6. मैं/हम, स्टार स्तर को (विद्यमान स्टार लेबल स्तर) को (पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर) में मैनुअल आवेदन तथा ऑनलाइन वेब पोर्टल में परिवर्तन के लिए सहमत हूँ।
7. मैंने वितरण ट्रांसफार्मर मॉडल के लिए अभी तक तिमाही उत्पादन आंकड़े और लेबलिंग फीस जमा करा दिया है।
8. मैं/हम, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और यदि ब्यूरो द्वारा कोई जांच की जाती है, उसे आवश्यक सहायता/ सहयोग देने को सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने का अधिकार प्रदान करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने को सहमत हूँ।
10. मैं/हम वचनबद्ध करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे / हमारे ज्ञान के अनुसार सही है और यदि इसमें दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है, आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख :दिन (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 5

(विनियम 11(3) देखें)

अनुज्ञापत्रधारी को चुनौती परीक्षण/द्वितीय परीक्षण देखने के लिए सूचना

नई दिल्ली , तारीख

सेवा में,

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन का विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको इसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने के अध्यक्षीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीखके पत्रांक..... के जरिए वितरण ट्रांसफार्मर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा मंजूर की गई थी।

2. ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन का विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के अधीन तारीख..... कोरुपए की कीमत पर तारीख की बीजक संख्या स्वतः संज्ञान से परीक्षण या चुनौती परीक्षण के उद्देश्य से ___ द्वारा आपके प्राधिकृत वितरक/व्यौहारी/खुदरा व्यापारी से बीईई स्टार के लेबल वाला वितरण ट्रांसफार्मर को खरीदा गया था। उपरोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित वितरण के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण मैसर्स द्वारा नमूने खरीदे गए थे, जो आपके द्वारा उपरोक्त खरीदे गए वितरण ट्रांसफार्मर पर चिपकाए गए थे। नमूना मैसर्स द्वारा क्रम सं.सहित मैसर्स (वितरक, व्यौहारी, खुदरा व्यापारी का नाम) से सम्यक रूप से सत्यापन अभिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के साथ सम्यक रूप से मुहरबंद किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपनी पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूना मैसर्स....., राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और अंशांकन बोर्ड (एनएबीएल) प्रत्यायित प्रयोगशाला को अधिसूचना संख्यांक का. आ. सं..... तारीख के पैराग्राफ 3, 4 और 5 में दी गई परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार, अधिज्ञानकारी संख्यांक का. आ. सं..... के उपाबंध में दिए गए प्ररूप..... के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए परीक्षण करने के लिए भेजा था।

4. उत्पाद के ब्यौरे और स्वतः संज्ञान परीक्षण के परिणाम (यदि प्रवृत्त हो) इस पत्र के साथ संलग्न हैं। अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो परीक्षण और अशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त(तारीख) को(प्रयोगशाला का नाम) पर स्वतः संज्ञान परीक्षण/चुनौती परीक्षण (जैसा लागू हो) आयोजित कर रहा है।

5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसार, ब्यूरो सूचित करता है –

(i) नामनिर्दिष्ट अधिकारी के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर का संकेत (मूल रूप में) एक प्राधिकरण पत्र के साथ विनिर्दिष्ट उपरोक्त तारीख पर चुनौती परीक्षण / दूसरे परीक्षण को देखने के लिए एक अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करें (पत्र पर सम्यक रूप से हस्ताक्षर और कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगाई जाएगी)।

(ii) इस पत्र के पारित होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर खरीद, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक व्ययों के लिए उक्त लागत जमा करें, जैसा कि उपाबंध में उल्लेख किया गया है (व्यय इलेक्ट्रॉनिक ढंग के माध्यम से जमा किया जाएगा)।

6. आप ध्यान दें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या दूसरे परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा, भले ही उपर्युक्त व्यय समय पर नहीं किए गए हों या अधिकारियों को यथाविनिर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।

7.तारीखमास..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. उत्पाद के ब्यौरे/ स्वतः संज्ञान परीक्षण के परिणाम
2. उपाबंध 5 (क)
3. व्यय से संबंधित बीजक

उपाबंध

[प्ररूप 5 का पैरा 5 देखें]

जानकारी के ब्यौरे

1. चुनौती परीक्षण / दूसरे परीक्षण के लिए उठाए गए उत्पाद या उपस्कर के ब्यौरे

ब्रांड का नाम :	
विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड :	
मॉडल का नाम/मॉडल नंबर :	
कक्ष वितरण ट्रांसफार्मर का प्रकार :	
ट्रांसफार्मर क्षमता केवीए :	
वोल्टेज :	
विनिर्माण का वर्ष :	

50% भारण वाट पर कुल हानियां :	
100% वाट पर कुल हानियां :	
स्टार रेटिंग या स्टार स्तर :	

2. ब्यूरो के पास जमा की जाने वाली रकम :

ब्यौरे	संख्या/व्यय (भारतीय रुपए में)
नमूनों की संख्या	
प्रति नमूना लागत	
कुल क्रय लागत	
कुल परीक्षण प्रभार	
यातायात प्रभार (यदि लागू हो)	
अन्य (यदि लागू हो)	
अनुज्ञापत्रधारी द्वारा संदाय की जाने वाली कुल रकम	

3. स्वतः संज्ञान परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) :

ब्रांड	मॉडल	50 प्रतिशत भारण पर रेटिड कुल हानियां	100 प्रतिशत भारण पर रेटिड कुल हानियां	ट्रांसफार्मर क्षमता केवीए	स्टार रेटिंग (घोषित)	स्टार रेटिंग (परीक्षण की जांच)	टिप्पणियां

तारीख

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 6

(विनियम 11 के उप-विनियम (5) देखें)

दूसरे जांच परीक्षण की असफलता पर अनुज्ञापत्रधारी के लिए निदेश

नई दिल्ली , तारीख

सेवा में,

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको इसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करने के अध्यक्षीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीखके पत्रांक..... के जरिए वितरण ट्रांसफार्मर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई थी।

2. ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम के अधीन तारीख..... कोरुपए की कीमत पर तारीख की बीजक संख्या के जरिए आपके प्राधिकृत वितरक, व्यौहारी, खुदरा व्यापारी से बीईई स्टार के लेबल वाला वितरण ट्रांसफार्मर को खरीदा गया था और इसको विनियम 3 के अधीन आपके द्वारा खरीदे गए उपरोक्त कथित वितरण ट्रांसफार्मर के लेबल

पर संप्रदर्शित विशिष्टियों विवरणों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण, मैसर्स द्वारा एक नमूने के तौर पर उठाया गया था। नमूना मैसर्स द्वारा क्रम सं.सहित मैसर्स (वितरक, व्यौहारी, खुदरा व्यापारी का नाम) से सम्यक रूप से सत्यापन अभिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के साथ सम्यक रूप से मुहरबंद किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपनी उल्लिखित सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूना मैसर्स....., राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और अंशांकन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला को का. आ. सं..... तारीख के पैराग्राफ 4 और 5 में दी गई परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार, का. आ. सं..... तारीख के उपाबंध में दिए गए प्ररूप..... के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए परीक्षण करने के लिए भेजा था।

4. विशेष पहचान श्रृंखला संख्या वाले नमूने की परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने वाले वितरण ट्रांसफार्मर 50% भारण पर कुल हानियों पर प्रकार परीक्षण और 100% पर कुल हानि आदि को पूरा करने में असफल रहे और यह आपके द्वारा विनिर्मित / आयातित वितरण ट्रांसफार्मर के संबंध में लेबल चिपकाने के लिए मांगी गई अनुज्ञा के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप 1 में आपके द्वारा मुहैया कराए गए परीक्षण के ब्यूरो की पुष्टि नहीं करते। वीडिई के तारीख के पत्रांक के जरिए परीक्षण के परिणाम आपके प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम में आपको भेज दिए गए थे। आपसे अनुरोध किया जाता था कि राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और अंशांकन बोर्ड (एनएबीएल) प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स में नमूनों के दूसरे परीक्षण सत्यापन परीक्षण में भाग लें।

5. हमारे प्राधिकृत अभिकरण मैसर्स के जरिए तारीख दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूने उठाकर हमारी प्राधिकृत अभिकरण मैसर्स..... द्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद कर राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और अंशांकन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला में भेजे गए थे और सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षराधीन से प्राप्त उक्त नमूनों पर उत्कीर्ण विशेष पहचान श्रृंखला संख्या दी गई थी।

6. दूसरे परीक्षण सत्यापन परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिनकी राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिक द्वारा परीक्षण की गई है और जिनके संबंध में प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। परीक्षण रिपोर्ट पर दूसरे परीक्षण के साक्ष्य के तौर पर आपके हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं।

परीक्षण परिणामों से पुष्टि होती है कि ये का. आ. संख्यांक तारीख में दिए गए अपेक्षित मानदण्डों और मानकों और आपको बाजार में विनिर्मित / आयातित और विक्रय किए गए वितरण ट्रांसफार्मर पर लगे लेबल पर दी गई विशिष्टियों को दर्शाने के लिए आपको दी गई अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों को पूरा नहीं करते।

7. अब, इसलिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो निदेश देता है :-

- (i) वितरण ट्रांसफार्मर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करना या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करना;
- (ii) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; तथा
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों का परिवर्तन।

8. आपको निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के पारित किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर पूर्वोक्त सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करें और दो मास की समाप्ति के पश्चात् 10 दिन के भीतर अर्थात् तक प्ररूप 6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) के विनियम 11 के उप-विनियम (6) के खंड (ख) के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

9. ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के विनियम (5) (6) (7) और (8) के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. असफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप 7

(विनियम 11 का उप विनियमन (6) देखें)

की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट

(संगठन के शीर्षनामा पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

तारीख

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066, भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, हमें मे वितरण ट्रांसफार्मर के विनिर्माता को ऊर्जा की खपत मानक के अनुरूप पत्र सं..... तारीख के लिए मॉडल संख्या द्वारा स्टार स्तर के वितरण ट्रांसफार्मर पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियमन 11 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अनुसार, हम आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए पत्र संख्या तारीख..... द्वारा निदेश दिया गया। निदेश को ध्यान में रखते हुए, हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाइयों को किया गया है।

	कार्रवाई का निदेश	प्रास्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निदेश का पालन करने के साथ वितरण ट्रांसफार्मर के स्तर पर संप्रदर्शित स्टार स्तर सुधारें	हां/नहीं/प्रवृत्त नहीं	स्टार स्तर (तारीख)से प्रभावी स्टार..... से स्टार तक सही किया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के साथ बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें। और	हां/नहीं/प्रवृत्त नहीं	ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के साथ बाजार से सभी स्टॉक को वापस ले लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों का परिवर्तन करें।	हां/नहीं/प्रवृत्त नहीं	हां/नहीं/प्रवृत्त नहीं

उपरोक्त दी गई घोषणा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्ष.....

नाम

पदनाम

.....के लिए और उनकी ओर से

फर्म/कंपनी का नाम

फर्म/कंपनी की मुहर

अनुसूची

(विनियम 3 का उप-विनियम (2) देखें)


वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर संप्रदर्शित की गई विशिष्टियां

(क) लेबल डिजाइन, साइज, रंग स्कीम और लेबल की अंतर्वस्तु में ये सम्मिलित होंगे -

(i) लेबल के निम्नलिखित आयाम की डिजाइन, अर्थात :-



(ii) ब्यूरो के लोगो के लिए निम्नलिखित रंग स्कीम, अर्थात् :-



नीला -

ह्यू (H)-239° सेचुरेशन (S) : 64% ब्राइटनेस (B):59%

ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) : 28, क्रोमेटिक पुर्जे -a:24 b:54

लाल (R) : 54 हरा (G) : 55 नीला (B):151

सियान (C):97% मैजेंटा (M):95% पीला (Y):6% काला (K):1%

वेब कलर कोड - #363797


हरा -

ह्यू (H)-150° सेचुरेशन (S):10% ब्राइटनेस (B):67% ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L): 61,

क्रोमेटिक पुर्जे -a:-53 b:32 लाल (R):0 हरा (G):170 नीला (B):87

सियान (C):81% मैजेंटा (M):10% पीला (Y):90% काला (K):1% वेब कलर कोड - #00AA56;

(iii) वितरण ट्रांसफार्मर पर निम्नलिखित लेबल लगाना होगा :



(2) लेबल की सामग्री

यदि लेबल स्विंग टैग के रूप में जोड़ा जाना है तो इसे टिकाऊ कार्डबोर्ड का होना चाहिए या स्वयं चिपकने वाला होना चाहिए और लेबल की डिजाइन और आयाम इन विनियमों में बताए गए नमूना लेबल में से एक प्रकार के हो सकते हैं।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./526/2022-23]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2022

No. BEE/S&L/DT/01/22-23.—Where the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer) Regulations, 2022, were published vide notification number BEE/S&L/DT/01/2022-23 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on 25th August, 2022;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely: —

1. **Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer), (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition: - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
- (b) “Distribution Transformer” means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;
- (c) “Form” means a Form appended to these regulations;
- (d) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, distribution transformer;
- (e) “label period” means the validity period of the relative energy efficiencies or loss standards which is the total losses at 50% and 100% loading of the distribution transformer notified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the validity period of the relative energy efficiencies or loss standards is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;
- (f) “permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (g) “Schedule” means the Schedule annexed to these regulations;
- (h) “star rating or star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the Distribution Transformer based on the total losses at 50% and 100% loading of Distribution Transformer notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act to denote the relative energy efficiencies or loss standards which is the total losses at 50% and 100% loading of the distribution transformer;
- (i) “trader or seller” in relation to any labelled Distribution Transformer means a person who sells or distributes any such Distribution Transformer and includes the shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such Distribution Transformer.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label .— (1) On every Distribution Transformer, the following particulars shall be displayed on its label, namely: —

- (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) equipment;
- (c) type;
- (d) make/ manufacturer or importer;
- (e) model/ manufacturing year;
- (f) transformer capacity in kilovolt ampere;
- (g) voltage in kV;
- (h) total losses at fifty percentage loading in watts;
- (i) total losses at hundred percentage loading in watts;
- (j) unique label series code;
- (k) star level; and
- (l) label period.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.—

(1) Transition from Voluntary to Mandatory regime.- A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every distribution transformer within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) Revision of Mandatory Energy Consumption Standards.- On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller-

- (a) shall not produce the distribution transformer with the previous energy consumption standards;
- (b) shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the

manufacturing year of the distribution transformer in synchronisation with revised energy consumption standards;

(c) shall take necessary preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken in advance.

5. Manner of display of label. —

(1) On every Distribution Transformer, the label shall be stamped as follows, namely:—

(i) the label shall be affixed at the front display of the unit and should be easily visible as referred in sub-regulation (2) of regulation 3 and the permittee shall ensure that the label appears on every registered unit or model on display for identification purpose, at point of sale or hire and the label shall also be printed or pasted to the exterior to the casing containing the unit or model.

(ii) for units not on display, the label may be printed or pasted to the exterior to the casing and this label may be attached to the unit or model when the unit or model is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.

6. Permission for display of label. — (1) No star label shall be affixed on a Distribution Transformer without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) Company registration. — For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

(3) Model registration. — Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

(a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and

(b) a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry label security fee shall be only twenty -five thousand rupees; and

(c) documents specified in Form I – (B).

7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and labelling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, —

(a) register the brand in Form II-(A) in electronic form; and

(b) grant permission for affixing label on Distribution Transformer in Form II-(B) in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.

(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

(5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.

(6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the Distribution Transformer from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the Distribution Transformer is planned to be launched to synchronise with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label.- Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely: —

(a) the star level displayed on the label of Distribution Transformer shall conform to energy consumption standards for Distribution Transformer notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;

- (b) the label shall be affixed only on such model of Distribution Transformer for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the Distribution Transformer at the cost of permittee;
- (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of Distribution Transformer shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year; and
- (h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau shall specify including those contained in the Bureau's Manual on Standard and Labelling.

9. Label fee. — (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of hundred rupees for each label affixed on the distribution transformer.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten percent per annum from the label security fee made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6, and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of label security fee. — Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture distribution transformer.

11. Verification by Bureau. — (1) The Bureau or its designated agency may, either suo motu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the Distribution Transformer conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit and shall be subjected to the following conditions, —

- (a) measurement of winding resistance test;
- (b) measurement of impedance voltage or short circuit impedance and load loss ;
- (c) measurement of no-load loss and current test ;
- (d) temperature rise test; and
- (e) short circuit test.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the Distribution Transformer in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, a notice shall be issued to the permittee in form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau, provided that the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where samples of Distribution Transformer used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the permittee shall be offer another opportunity and the Bureau shall conduct second test with twice the quantity of Distribution Transformer used in the first test in an independent test laboratory which is different from the

lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee and the Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.

(5) Where the second test fails, the Bureau shall, —

(a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-

(i) correct the star level displayed on the label of the Distribution Transformer or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months; and

(c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(6) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5), —

(a) send the compliance report in Form VII to Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.

(8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall, —

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

(c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months; and

(d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission. — The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee, —

(a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;

(c) does not comply with the direction issued under regulation 11; and

(d) provided that no application shall be cancelled without giving permittee a reasonable opportunity of being heard in respect of cancellation of permission.

FORM I – (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed in Company letter head)**Application for registration of brand of distribution transformer under the Bureau of Energy Efficiency
(Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022**

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066, India.

I/We am/are the manufacturer/manufacturers of distribution transformer carrying out business at..... (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on distribution transformer as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Distribution Transformer) Regulations, 2022.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

(b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above

3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from.....to.....			
Current year from.....to (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be has been paid by electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).

5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.

6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of(Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

Name of the firm) / SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 2 of Form I – (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	Yes/No
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	
(b) Trade mark certificate	
(c) Small scale industries Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorised signatory letter	
(f) Bureau of Indian standards license, if applicable	
(g) payment receipt for payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm) / Seal of the Firm

FORM I- (B)**[See regulation 6]****Application for permission to affix label on Distribution Transformer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022**

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector – 1, R.K.Puram

New Delhi-110 066

India.

I/ We are the manufacturers or importers of Distribution Transformer carrying out business at _____(full business address) under the style of _____ (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Distribution Transformer as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of Label on Distribution Transformer) Regulations, 2022.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by _____ (Name of the company) and is manufactured at _____ (Name and address of the factory)

3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/authorized person: _____ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.

(b) Contact Person: _____ (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above

4. Conformance to Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) _____ as specified in the notification on _____(title of the notification) for the _____ (name of the equipment). A copy of the License / certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory _____ or at NABL accredited laboratory _____ (Name and address of the laboratory) for ensuring consistency in quality of the equipment.

Independent Laboratory details:

a) Test details (test procedure/ name/number)

b) Accreditation status:

c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from _____ to _____			
Current year from ___ to ___ (estimate)			

2. Details of the company

Name of the company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Name of the Authorized representative	

3. Details of the manufacturing premise

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Any other details	
Name of the Authorized representative	

4. Details of test laboratory

Name of the test Laboratory	
Accreditation status (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Scope of Accreditation	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

5. Labeling information


Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of Energy Efficiency	

for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	From _____ To _____

6. Payment details

	Total Amount	Details of Payment (electronic payment details)
Application Fee		
Security Deposit		

7. Specimen of the label to be affixed on the distribution transformer is shown below:



Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

.....

(Name of the firm) / SEAL OF FIRM

FORM II – (A)

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of distribution transformer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022

New Delhi, dated.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.

2. This permission is subject to—

- (a) the star level displayed on the label of the distribution transformer shall conform to energy consumption standards for distribution transformer notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
- (b) the stamping of the label only on such model of distribution transformer for which permission has been granted;
- (c) the printing and affixture of the label on the distribution transformer at the cost of the permittee;
- (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the distribution transformer shall be maintained at all time;
- (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;
- (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
- (g) the permittee making available such other details of distribution transformer as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.

3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the distribution transformer from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.

4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.

5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure

[See para 1 of Form II-(A)]

Details of Approvals**1. Details of the company**

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	

Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

2. Name of the brand registered:

3. Unique series code:

4. Other details if applicable:

Date:

Yours faithfully,

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM II (B)

[Sub-regulation 7(1)(b)]

Permission / Renewal of Permission to affix label on Distribution Transformer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022

New Delhi, dated the.....

To

.....

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their display on Label of Distribution Transformer**) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.

2. This permission is subject to—

(a) the star level displayed on the label of the Distribution Transformer shall conform to energy consumption standards for Distribution Transformer notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;

(b) the label shall be affixed only on such model of Distribution Transformer for which permission has been granted;

(c) the label shall be printed and affixed on the Distribution Transformer at the cost of the permittee;

(d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the Distribution Transformer shall be maintained at all time;

(e) the permittee shall pay the label fee of hundred rupees per label;

(f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated systems;

(g) the permittee shall make available such other details of Distribution Transformer as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.

3. This permission shall be valid for from toand may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the Distribution Transformer from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.

4. The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment is.....and should appear on the label as per the approved design.

5. Where the star level plans on review is modified by the Central Government, the star level of the Distribution

Transformer shall stand modified as follows:-

(a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;

(b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.

6. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure

[See para 1 of Form II]

Details of Approvals

1. Details of the Equipment

Equipment
Type (for example, oil filled naturally cooled,)
Model Name / Number
Name of the manufacturer/Importer
Transformer Capacity kVA
Voltage
Month and Year of manufacturing
Total losses at 50% loading watts
Total losses at 100% watts


SL. No.	Model Name/ No.	Measured values				Rated values		Star Rating
		No Load Loss (watts)	Load Loss (watt)	Total Losses		Total Losses		
				50% loading	100% loading	50% loading	100% loading	

2. Label Details

Equipment	
Type	
Name of the make/manufacturer/importer	
Model Name/Number	
Year of manufacturing	
Transformer Capacity kVA	
Volatge	
Star level	
Label period	

Total losses at 50% loading watts	
Total losses at 100% watts	
Unique Series Code	

3. Specimen of the label duly approved by Bureau to be affixed on the distribution transformer is shown below.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Distribution Transformer.

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label Security Fee	Label Security Fee received by (Electronic transaction (Details): Date:)	Amount of Application Fees received	Details of Application Fee Amount received (Electronic transaction (Details) : Date :)
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labeling fee payable to Bureau of Energy Efficiency for each financial year	Labeling fee details received for each financial year (Electronic transaction (Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model
(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of Corporate body/Permittee)

Date:**To****THE DIRECTOR GENERAL****BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY****(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)****4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,****SECTOR 1, R.K.PURAM,****NEW DELHI-110 066****INDIA.**

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022 on revision of star level effective from

1. I/ We are the manufacturers / importers of Distribution Transformer carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on Distribution Transformer as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022 which would go for revision of star level with effect from

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER)

3. Conformance to New Star level: I/We conform to the table change as per Table ... as specified in the notification number S.O. number.dated..... for Distribution Transformer. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the Distribution Transformer is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values	
Transformer Capacity kVA		
Voltage		
Total losses at 50% loading watts	--	
Total losses at 100% watts	--	
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said Distribution Transformer model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date: _____

Day of (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

To

New Delhi, dated the.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022 you were permitted to affix label on the Distribution Transformer vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations 2022, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Distribution Transformer from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice numberdated..... for a price of Rs..... and lifted as a sample dated ___ by ___ for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s _____, an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased distribution transformer. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number----- was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s.----, ----,

a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification number S.O....dated..... for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O.

4. The details of the product and the *suo motu* test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations 2022, the Bureau is conducting *suo motu* test/challenge test (as applicable) on(date) at(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer Regulations 2022, the Bureau hereby intimates to -

(i) _____ nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of the company).

(ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).

6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations 2022.

7. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth.....year.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Details of product/ *suo motu* test results
2. Annexure V(a)
3. Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V] Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:
Unique label series code:
Model name/Model number:
Type of room Distribution Transformer:
Transformer Capacity kVA:
Voltage : :
Year of manufacturing:
Total losses at 50% loading watts:
Total losses at 100% watts:
Star rating or star level:

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

3. Results of *suo moto* test (if applicable):

Brand	Model	Rated total losses at 50% loading	Rated total losses at 100 % loading	Transformer capacity KVA	Star rating (Declared)	Star rating (Check tested)	Remarks

Date:.....

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM VI

[See sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to Permittee on failure of second check testing

To

New Delhi, dated the.....

.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer**) Regulations, 2022, you were permitted to affix label on the Distribution Transformer vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under Regulation ... of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Distribution Transformer from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs..... and lifted as a sample datedby M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased Distribution Transformer. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number.....was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of S.O.numberdated the ... for giving Test Report in accordance with the Form ...given in Annexure to S.O.. number..... dated the

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled Distribution Transformer failed to meet the type test at total losses at 50% loading and total loss at 100% etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the Distribution Transformer manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide Bureau of Energy Efficiency letter No... dated.....in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

5.The Sample for second check verification Test were picked up dated the through our authorised Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O.number dated, and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Distribution Transformer manufactured/imported and sold in the market .

7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer) Regulations, 2022, the Bureau hereby directs to :-

- (i) correct the star level displayed on the label of the Distribution Transformer or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within 10 days after the expiry of two months i.e. byIn case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (6) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer) Regulations, 2022.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5) (6)(7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency(Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer) Regulations, 2022.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VII

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Action Taken Report

(To be furnished on the letter head of the organisation)

To

Dated.....

THE SECRETARY,
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022, we M/s.....the manufacturer of Distribution Transformer were permitted to affix label on the Distribution Transformer conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by Bureau of Energy Efficiency, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the Distribution Transformer to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.


Signature.....
Name.....
Designation.....
For and on behalf of.....
Name of the Company/Firm etc
Seal of the Firm/Company”.

Schedule


[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on labels of Distribution Transformer.

- (a) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include:-
(i) the following dimensional design of label, namely:—



(ii) the following colour scheme for the label, namely:—



BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%


Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%, Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32, Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%, Web colour code - #00AA56;

(iii) following label to be affixed on distribution transformer:-

**(2) Label Material**

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label”.

ABHAY BAKRE Director General,
[ADVT.-III/4/Exty./526/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012023-241627
CG-DL-E-03012023-241627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 2, 2023/पौष 12, 1944

No. 2]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 2, 2023/PAUSHA 12, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2023

का.आ. 5(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 185(अ.) तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) पैराग्राफ 2 के, उप-पैराग्राफ (2) में, शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "सारणी 2 (01 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावी)" और "सारणी 3 (01 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावी)", के स्थान पर " सारणी 2 (01 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2023 तक प्रभावी)" और " सारणी 3 (01 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2023 तक प्रभावी)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 185(अ.), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 4062(अ.), तारीख 16 दिसंबर, 2016, का.आ. 513(अ.), तारीख 17 फरवरी, 2017 और का.आ. 1665(अ), तारीख 27 मई, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।

[फा. सं. 10/8/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2023

S.O. 5(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O.185(E), dated the 12th January, 2009, namely:-


In the said notification,-

(A) in paragraph 2, in sub-paragraph (2), for the words, figures, brackets and letters “Table 2 (Effective from 1st July, 2017 to 31st December 2022)” and “Table 3 (Effective from 1st July, 2017 to 31st December 2022)”, the words, figures, brackets and letters “Table 2 (Effective from 1st July, 2017 to 31st December, 2023)” and “Table 3 (Effective from 1st July, 2017 to 31st December, 2023)” shall respectively be substituted;

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 185(E), dated the 12th January, 2009, and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4062(E), dated the 16th December, 2016, S.O. 513(E), dated the 17th February, 2017 and S.O. 1665(E), dated the 27th May, 2020.

[F. No. 10/8/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052020-219627
CG-DL-E-28052020-219627

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1498]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2020/ज्येष्ठ 6, 1942

No. 1498]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2020/JYAISHTHA 6, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2020

का.आ. 1665(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 185 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में—

(क) पैरा 2 के उप पैरा (2) में, शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों "सारणी 2 (01 जुलाई 2017 से प्रभावी)" और "सारणी 3 (01 जुलाई 2017 से प्रभावी)", के स्थान पर "सारणी 2 (01 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावी)" और "सारणी 3 (01 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2022 तक प्रभावी)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

[फा. सं. 10/3/2020-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 185(अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का. आ. 513 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2020

S.O. 1665(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O.185(E), dated the 12th January, 2009, namely: —

In the said notification, —

- (A) in paragraph 2, in sub-paragraph (2), for the words, figures, brackets and letters “Table 2 (Effective from 1st July, 2017 onwards)” and “Table 3 (Effective from 1st July, 2017 onwards)”, the words, figures, brackets and letters “Table 2 (Effective from 1st July, 2017 to 31st December 2022)” and “Table 3 (Effective from 1st July, 2017 to 31st December 2022)” shall respectively be substituted;

[F. No. 10/3/2020-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 185(E), dated the 12th January, 2009, and last amended *vide* notification number S.O. 513(E), dated the 17th February, 2017.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/ माघ 28, 1938

No. 461]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

का.आ. 513(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 185 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में -

(क) पैरा 1 के, उप पैरा (क) में, मद सं.° (v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(v) आईएस 2026 (भाग -I) के अनुसार शॉर्ट सर्किट परीक्षण, जहां कहीं लागू हो, आईएस 1180 में यथा विनिर्दिष्ट सभी संशोधनों के साथ”;

(ख) पैरा 2 के, उप पैरा (2) में, शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों 'सारणी 1 (31 दिसम्बर 2016 तक विधिमान्य)', 'सारणी 2 (1 जनवरी 2017 से प्रभावी)' और 'सारणी 3 (1 जनवरी 2017 से प्रभावी)' के स्थान पर 'सारणी 1 (30 जून 2017 तक विधिमान्य)', 'सारणी 2 (1 जुलाई 2017 से प्रभावी)' और 'सारणी 3 (1 जुलाई 2017 से प्रभावी)' शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) पैरा 3 के, उप पैरा (2) का लोप किया जाएगा

[फा. सं. 13/28/2015-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 185(अ), तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 4062(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2017.

S.O. 513(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O.185(E), dated the 12th January, 2009, namely:-

In the said notification,-

(A) in paragraph 1, in sub-paragraph (a), for item (v), the following shall be substituted:-

“(v) short-circuit test as per IS 2026 (part I), wherever applicable, as specified in IS 1180 (part I), with all amendments”;

(B) in paragraph 2, in sub-paragraph (2), for the words, figures, brackets and letters “Table 1 (Valid up to 31st December, 2016)”, “Table 2 (Effective from 1st January, 2017 onwards)” and “Table 3 (Effective from 1st January, 2017 onwards)”, the words, figures, brackets and letters “Table 1 (Valid up to 30th June, 2017)”, “Table 2 (Effective from 1st July, 2017 onwards)” and “Table 3 (Effective from 1st July, 2017 onwards)” shall respectively be substituted;

(C) in paragraph 3, sub-paragraph (2) shall be omitted.

[F. No.13/28/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* Notification number S.O.185(E), dated the 12th January, 2009, and last amended *vide* notification number S.O. 4062(E), dated the 16th December, 2016.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2968]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2016/अग्रहायण 25, 1938

No. 2968]

NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 16, 2016/AGRAHAYANA 25, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4062(अ).— केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 185(अ.) तारीख 12 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(अ) पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) भारत में विनिर्मित, वाणिज्यिक रूप से क्रय या विक्रीत किया गया प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर -

(क) अपने टाईप परीक्षण मानदंडों की अनुपालन अपेक्षाओं को नियमानुसार पूरी करेगा, अर्थात्:-

- (i) भारतीय मानक 2026(भाग 1): 1977 के अनुसार वाइंडिंग प्रतिरोध का मापन;
- (ii) भारतीय मानक 2026(भाग 1): 1977 के अनुसार प्रतिबाधा वोल्टता/शार्टसर्किट प्रतिबाधा तथा लोड हानि का माप;
- (iii) भारतीय मानक 2026(भाग 1): 1977 के अनुसार शून्य लोड हानि और करंट की माप;
- (iv) भारतीय मानक 2026(भाग 2): 1977 के अनुसार तापमान वृद्धि परीक्षण;
- (v) भारतीय मानक 2026(भाग 1): 1977 के अनुसार शार्टसर्किट परीक्षण;

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न लगा होगा "

(आ) पैरा 2 के उप पैरा (2) में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"सारणी 1 (31 दिसंबर 2016 तक विधिमान्य)

स्तर	1 सितारा		2 सितारा		3 सितारा		4 सितारा		5 सितारा	
	अधिकतम हानियां 50% (बॉट्स)	अधिकतम हानियां 100% (बॉट्स)	अधिकतम हानियां 50% (बॉट्स)	अधिकतम हानियां 100% (बॉट्स)	अधिकतम हानियां 50% (बॉट्स)	अधिकतम हानियां 100% (बॉट्स)	अधिकतम हानियां 50% (बॉट्स)	अधिकतम हानियां 100% (बॉट्स)	अधिकतम हानियां 50% (बॉट्स)	अधिकतम हानियां 100% (बॉट्स)
16	200	555	165	520	150	480	135	440	120	400
25	290	785	235	740	210	695	190	635	175	595
63	490	1415	430	1335	380	1250	340	1140	300	1050
100	700	2020	610	1910	520	1800	475	1650	435	1500
160	1000	2800	880	2550	770	2200	670	1950	570	1700
200	1130	3300	1010	3000	890	2700	780	2300	670	2100

सारणी 2 (1 जनवरी 2017 से प्रभावी)

11 केवी वर्ग तक बॉट में प्रस्तावित मानक हानि										
रेटिंग (केवीए)	सितारा 1		सितारा 2		सितारा 3		सितारा 4		सितारा 5	
	50 प्रतिशत लोड	100 प्रतिशत लोड	50 प्रतिशत लोड	100 प्रतिशत लोड	50 प्रतिशत लोड	100 प्रतिशत लोड	50 प्रतिशत लोड	100 प्रतिशत लोड	50 प्रतिशत लोड	100 प्रतिशत लोड
16	135	440	120	400	108	364	97	331	87	301
25	190	635	175	595	158	541	142	493	128	448
63	340	1140	300	1050	270	956	243	870	219	791
100	475	1650	435	1500	392	1365	352	1242	317	1130
160	670	1950	570	1700	513	1547	462	1408	416	1281
200	780	2300	670	2100	603	1911	543	1739	488	1582

सारणी 3 (1 जनवरी 2017 से प्रभावी)

11 केवी वर्ग तक के बॉट में प्रस्तावित मानक हानि (200 केवीए से ऊपर स्तर के लिए)											
स्तर (केवीए)	प्रतिशत प्रति बाधा	सितारा 1		सितारा 2		सितारा 3		सितारा 4		सितारा 5	
		50 प्रतिशत लोड	100 प्रतिशत लोड	50 प्रतिशत लोड	100 प्रतिशत लोड	50 प्रतिशत लोड	100 प्रतिशत लोड	50 प्रतिशत लोड	100 प्रतिशत लोड	50 प्रतिशत लोड	100 प्रतिशत लोड
250	4.5	980	2930	920	2700	864	2488	811	2293	761	2113
315	4.5	1025	3100	955	2750	890	2440	829	2164	772	1920
400	4.5	1225	3450	1150	3330	1080	3214	1013	3102	951	2994
500	4.5	1510	4300	1430	4100	1354	3909	1282	3727	1215	3554
630	4.5	1860	5300	1745	4850	1637	4438	1536	4061	1441	3717
1000	5	2790	7700	2620	7000	2460	6364	2310	5785	2170	5259
1250	5	3300	9200	3220	8400	3142	7670	3066	7003	2991	6394
1600	6.25	4200	11800	3970	11300	3753	10821	3547	10363	3353	9924

2000	6.25	5050	15000	4790	14100	4543	13254	4309	12459	4088	11711
2500	6.25	6150	18500	5900	17500	5660	16554	5430	15659	5209	14813";

(इ) पैरा 3 में,-

- (i) उप पैरा (1) में, "भारतीय मानक 1180 (भाग 1): 1989" अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों, और शब्दों के स्थान पर, "भारतीय मानक 1180 (भाग 1): 2014" अक्षर, अंक, कोष्ठक, और शब्द रखे जाएंगे; और
- (ii) उप पैरा (2) में, "भारतीय मानक 1180 (भाग 1): 1989" अक्षरों, अंकों, कोष्ठकों, और शब्दों के स्थान पर, "भारतीय मानक 1180 (भाग 1): 2014" अक्षर, अंक, कोष्ठक, और शब्द रखे जाएंगे;

(ई) पैरा 4 के उप पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाए, अर्थात् :-

"(1) सत्यापन और चुनौती के लिए नमूना लेने का कार्य उपयोगिताओं को परिदान करने के पश्चात् किया जाएगा, जो ब्यूरो को तत्काल प्रत्यावर्तनीय आधार पर यादृच्छिक चयन आधार पर जांच परीक्षण के लिए ट्रांसफार्मर प्रदान करेगा".

(उ) उपाबंध क (पैरा 5 में निर्दिष्ट) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"उपाबंध क"**परीक्षणों के परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए प्ररूप**

1. वितरण ट्रांसफार्मर के ब्यौरे

- (i) ब्रांड / मेक :
- (ii) मॉडल का नाम:
- (iii) किस्म:
- (iv) रेट की गई बोल्टता:
- (v) रेट की गई आवृत्ति:
- (vi) रेट की गई क्षमता:
- (vii) 50 प्रतिशत लोडिंग पर रेट की गई कुल हानि :
- (viii) 100 प्रतिशत लोडिंग पर रेट की गई कुल हानि :

2. परीक्षण सार

- (i) यथा लागू प्रत्येक परीक्षण टाइप के लिए इस पृष्ठ की पृथक प्रति तैयार करें
- (ii) परीक्षण की तारीख :
- (iii) परीक्षण अधिकारी :
- (iv) परीक्षण प्रकार : सभी लागू परीक्षण निम्नानुसार हैं :

(क) वाइंडिंग प्रतिरोधकता का माप आईएस 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार :

मापी गई मात्रा	
एच. वी. वाइंडिंग प्रतिरोधकता	
एल. वी. वाइंडिंग प्रतिरोधकता	

(ख) प्रतिबाधा वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट प्रतिबाधा और लोड की हानि के माप आईएस 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार;

मापी गई मात्रा	
75 डिग्री से. पर प्रतिबाधा का प्रतिशत	
75 डिग्री से. पर लोड की हानि	

(ग) लोड नहीं होने पर हानि और विद्युत धारा का माप आईएस 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार:

	वोल्टेज (V)	आवृत्ति (Hz)	लोड के बिना करंट (A)	लोड के बिना हानि (W)
शॉर्ट सर्किट से पहले				
शॉर्ट सर्किट के बाद				

(घ) तापमान बढ़ने का परीक्षण आईएस 2026 (भाग 2) : 1977 के अनुसार:

* एच. वी. और एल. वी. वाइंडिंग के लिए प्रतिरोधकता बनाम सेकेण्ड में समय का ग्राफ (शट डाउन का समय)

ऊपरी तेल के तापमान में वृद्धि	
एच. वी. वाइंडिंग तापमान में वृद्धि	
एल. वी. वाइंडिंग तापमान में वृद्धि	

(ड.) शॉर्ट सर्किट परीक्षण का माप आईएस 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार:

* शॉर्ट सर्किट को सहन करने की ट्रांसफार्मर में गतिशील क्षमता और अन्य नियमित परीक्षणों पर इसके प्रभाव दर्शाए जाएं।

50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानियां

रेट किया गया/घोषित मान (डब्ल्यू)	मापे गए मान (डब्ल्यू)
50 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानियां	50 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानियां
100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानियां	100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानियां

(v) आपूर्ति वोल्टेज : V

(vi) आपूर्ति आवृत्ति : HZ.”.

[फा. सं. 13/28/2015-ईसी]

राजपाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 185(अ) तारीख 12 जनवरी 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2016

S.O. 4062(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O.185 (E), dated the 12th January, 2009, namely:-

In the said notification,-

(A) for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“(1) Every distribution transformer being manufactured, commercially purchased or sold in India shall –

(a) meet the compliance requirements of the type test parameters, namely:-

- (i) measurement of winding resistance as per IS 2026 (part I):1977;
- (ii) measurement of impedance voltage or short circuit impedance and load loss as per IS 2026 (part I):1977;
- (iii) measurement of no-load loss and current as per IS 2026 (part I):1977;
- (iv) temperature-rise test as per IS 2026 (part 2):1977;
- (v) short-circuit test as per IS 2026 (part I):1977;

(b) carry Bureau of Indian Standards certification mark.”;

(B) in paragraph 2, in sub-paragraph (2), for the existing Table, the following Tables shall be substituted, namely:-

“Table 1 (Valid up to 31st December, 2016)

Rating	1 Star		2 Star		3 Star		4 Star		5 Star	
	Max Losses at 50 Per cent. (Watts)	Max Losses at 100 Per cent. (Watts)	Max Losses at 50 Per cent. (Watts)	Max Losses at 100 Per cent. (Watts)	Max Losses at 50 Per cent. (Watts)	Max Losses at 100 Per cent. (Watts)	Max Losses at 50 Per cent. (Watts)	Max Losses at 100 Per cent. (Watts)	Max Losses at 50 Per cent. (Watts)	Max Losses at 100 Per cent. (Watts)
16	200	555	165	520	150	480	135	440	120	400
25	290	785	235	740	210	695	190	635	175	595
63	490	1415	430	1335	380	1250	340	1140	300	1050
100	700	2020	610	1910	520	1800	475	1650	435	1500
160	1000	2800	880	2550	770	2200	670	1950	570	1700
200	1130	3300	1010	3000	890	2700	780	2300	670	2100

Table 2 (Effective from 1st January, 2017 onwards)

Standard Losses in watts up to 11 KV Class										
Rating (kVA)	Star 1		Star 2		Star 3		Star 4		Star 5	
	50 Per cent. Load	100 Per cent. Load	50 Per cent. Load	100 Per cent. Load	50 Per cent. Load	100 Per cent. Load	50 Per cent. Load	100 Per cent. Load	50 Per cent. Load	100 Per cent. Load
16	135	440	120	400	108	364	97	331	87	301
25	190	635	175	595	158	541	142	493	128	448
63	340	1140	300	1050	270	956	243	870	219	791
100	475	1650	435	1500	392	1365	352	1242	317	1130
160	670	1950	570	1700	513	1547	462	1408	416	1281
200	780	2300	670	2100	603	1911	543	1739	488	1582

Table 3 (Effective from 1st January, 2017 onwards)

Standard losses in watts up to 11 KV Class (For ratings above 200 kVA)											
Rating (kVA)	Per Cent. Impedance	Star 1		Star 2		Star 3		Star 4		Star 5	
		50 Per Cent. Load	100 Per Cent. Load	50 Per Cent. Load	100 Per Cent. Load	50 Per Cent. Load	100 Per Cent. Load	50 Per Cent. Load	100 Per Cent. Load	50 Per Cent. Load	100 Per Cent. Load
250	4.5	980	2930	920	2700	864	2488	811	2293	761	2113
315	4.5	1025	3100	955	2750	890	2440	829	2164	772	1920
400	4.5	1225	3450	1150	3330	1080	3214	1013	3102	951	2994
500	4.5	1510	4300	1430	4100	1354	3909	1282	3727	1215	3554
630	4.5	1860	5300	1745	4850	1637	4438	1536	4061	1441	3717
1000	5	2790	7700	2620	7000	2460	6364	2310	5785	2170	5259
1250	5	3300	9200	3220	8400	3142	7670	3066	7003	2991	6394
1600	6.25	4200	11800	3970	11300	3753	10821	3547	10363	3353	9924
2000	6.25	5050	15000	4790	14100	4543	13254	4309	12459	4088	11711
2500	6.25	6150	18500	5900	17500	5660	16554	5430	15659	5209	14813";

(C) in paragraph 3,-

- (i) in sub-paragraph (1), for the letters, figures, brackets and word "IS 1180 (Part 1):1989", the letters, figures, brackets and word "IS 1180 (Part 1):2014" shall be substituted; and
- (ii) in sub-paragraph (2), for the letters, figures, brackets and word "IS 1180 (Part 1):1989", the letters, figures, brackets and word "IS 1180 (Part 1):2014" shall be substituted;

(D) in paragraph 4, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(1) Sampling for verification and challenge shall be carried out after the deliveries are made to the utilities, who shall forthwith provide the transformer on random selection basis to the Bureau for check testing on returnable basis."

(E) for Annexure A (referred to in paragraph 5), the following shall be substituted, namely:-

**“Annexure A
Form for reporting the results of tests**

3. Details of distribution transformer

- (i) Brand/Make:
- (ii) Model name:
- (iii) Type:
- (iv) Rated voltage:
- (v) Rated frequency:
- (vi) Rated capacity:
- (vii) Rated Total Losses at 50 per cent. loading:
- (viii) Rated Total Losses at 100 per cent. loading:

4. Test summary

- (i) Complete a separate copy of this page for each test type, as applicable
- (ii) Date of test:
- (iii) Test officer:
- (iv) Test type: all applicable tests as follows :

(a) Measurement of winding resistance as per IS 2026 (part I):1977.

Quantity Measured	
H.V. winding resistance	
L.V. winding resistance	

(b) Measurement of impedance voltage or short circuit impedance and load loss as per IS 2026 (part I):1977.

Quantity Measured	
percentage of Impedance at 75°C	
Load Loss at 75°C	

(c) Measurement of no-load loss and current as per IS 2026 (part I):1977.

	Voltage(V)	Frequency(Hz)	No-Load Current(A)	No-Load Loss(W)
Before Short Circuit				
After Short Circuit				

(d) Temperature-rise test as per IS 2026 (part 2):1977.

*The graph of resistance vs time in seconds (time of shut down) for H.V. and L.V. winding.

Top oil temperature rise	
H.V. winding temperature rise	
L.V. winding temperature rise	

(e) Short-circuit test as per IS 2026 (part I):1977.

* The Dynamic ability of the transformer to withstand the short circuit to be shown and its effect on the other routine tests.

The total losses at 50 per cent. and 100 per cent. Loading

Rated/Declared Values (W)	Measured Values (W)
Total losses at 50 Per cent. loading	Total losses at 50 Per cent. loading
Total losses at 100 Per cent. loading	Total losses at 100 Per cent. loading

(v) Supply voltage: V

(vi) Supply frequency : Hz.”.

[F.No.13/28/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* Notification number S.O. 185(E), dated the 12th January, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 184(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबल पर विशिष्टियों को संप्रदर्शित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है और यह निर्देश देती है कि किसी ऐसे साधित्र या साधित्रों के वर्ग, लेबलों पर ऐसी विशिष्टियां को और ऐसी रीति में जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट हैं, प्रदर्शित करेगी।

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2009

S.O. 184(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the distribution transformers for display of particulars on label and direct that any such appliances or class of appliances shall display such particulars on labels in such manner as are specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Regulations, 2009.

[F. No. 10/6/2004-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 185(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से सितारा लेबल वाले वितरण ट्रांसफार्मर के लिए निम्नानुसार ऊर्जा खपत मानक निर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

1. (1) भारत में निर्मित, वाणिज्यिक रूप से क्रय किया गया विक्रय किया गया प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर :-

(i) अपनी टाइप के परीक्षण मानदंडों की अनुपालन अपेक्षाओं को निम्नानुसार पूरी करेगा :

- (क) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार वाइडिंग-प्रतिरोध का मापन;
- (ख) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार वोल्तता अनुपात और वोल्तता वेक्टर संबंधों को जांचने की माप;
- (ग) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार प्रतिबाधा वोल्तता/शार्टसर्किट प्रतिबाधा तथा लोड हानि का माप;
- (घ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार शून्य लोड हानि और करंट की माप;
- (ङ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार रोधन प्रतिरोध की माप;
- (च) भारतीय मानक 2026 (भाग 3) : 1981 के अनुसार इंड्यूज्ड ओवर वोल्तता ;
- (छ) भारतीय मानक 2026 (भाग 3) : 1981 के अनुसार पृथक स्रोत वोल्तता विदरस्टैंड परीक्षण;
- (ज) भारतीय मानक 2026 (भाग 3) : 1981 के अनुसार लाइटनिंग इंप्लस परीक्षण;
- (झ) भारतीय मानक 2026 (भाग 2) : 1977 के अनुसार तापमाप वृद्धि परीक्षण;
- (ञ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार शार्टसर्किट परीक्षण;
- (ट) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1989 के अनुसार वायु दाब परीक्षण;
- (ठ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1989 के अनुसार अनुमेय फलक्स डेंसिटी और ओवर फलक्सिंग।

(ii) भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न लगा होगा या विनिर्माता भारतीय मानक/आईएसओ 9000 या ऊपर के अनुसार प्रमाणित होना चाहिए।

2. सितारा स्तर योजना — (1) वितरण ट्रांसफार्मर पर लगाए जाने वाले ऊर्जा लेबल पर एक सितारा के अन्तराल पर अधिकतम पांच तक सितारों को संप्रदर्शित करेंगे। वितरण ट्रांसफार्मरों की रेटिंग या स्तर एक सितारा से पांच सितारा तक उनकी सापेक्ष ऊर्जा दक्षता या हानि मानकों के आधार पर की जाएगी जो वितरण ट्रांसफार्मरों के पचास प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि है। उच्चतम हानि खंड को सितारा एक के रूप में परिभाषित किया गया है और न्यूनतम हानि खंड को सितारा पांच के रूप में परिभाषित किया गया है।

(2) वितरण ट्रांसफार्मर का अवधारण पचास प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि और सौ प्रतिशत पर कुल हानि द्वारा किया जाएगा जो नीचे दिए गए अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी:

स्तर	1 सितारा		2 सितारा		3 सितारा		4 सितारा		5 सितारा	
	अधिकतम हानि 50% (वाट्स)	अधिकतम हानि 100% (वाट्स)	अधिकतम हानि 50% (वाट्स)	अधिकतम हानि 100% (वाट्स)	अधिकतम हानि 50% (वाट्स)	अधिकतम हानि 100% (वाट्स)	अधिकतम हानि 50% (वाट्स)	अधिकतम हानि 100% (वाट्स)	अधिकतम हानि 50% (वाट्स)	अधिकतम हानि 100% (वाट्स)
16	200	555	165	520	150	480	135	440	120	400
25	290	785	235	740	210	695	190	635	175	595
63	490	1415	430	1335	380	1250	340	1140	300	1050
100	700	2020	610	1910	520	1800	475	1650	435	1500
160	1000	2800	880	2550	770	2200	670	1950	570	1700
200	1130	3300	1010	3000	890	2700	780	2300	670	2100

3. परीक्षण और सह्यता :- (1) स्टार लेबल का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए वितरण ट्रांसफार्मर का परीक्षण उस तारीख को सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 1180 (भाग 1) : 1989 के अनुसार परीक्षण संहिता और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(2) तापमान बढ़ने की स्थिति में परिणाम अपवाद है। स्कीम के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाएगा :-

टाप आयल और ट्रांसफार्मर वाइडिंग का तापमान बढ़ने की सीमा को विद्यमान भारतीय मानक 1180 (भाग 1) : 1989 की 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करना।

(3) पचास प्रतिशत और सौ प्रतिशत लोडिंग वेल्यू पर दोनों के लिए लेबल पर संप्रदर्शित अधिकतम हानि पर कोई सकोरात्मक सह्यता की अनुमति नहीं होगी।

4. सत्यापन के लिए मानदंड और नमूना लेना - (1) सत्यापन और चुनौती के लिए सैंपलिंग टैंडर के आधार पर उपयोगिता के लिए परिदान किए जाने के पश्चात् किया जाएगा। सैंपलिंग भारतीय मानक 2500 (भाग 1) : 2000 द्वारा मार्गदर्शित होगी। सैंपलिंग स्कीमें लॉट से लॉट निरीक्षण के लिए स्वीकार्य क्वालिटी सीमा (एक्यूएल) द्वारा सूचकांकित की जाएगी।

(2) परीक्षण के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे-

(क) वाइडिंग प्रतिरोध का माप (भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977);

- (ख) प्रतिबाधा वोल्टता/शार्टसर्किट प्रतिबाधा और लोड हानि का माप (भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977);
- (ग) शून्य लोड हानि और करेंट का माप (भारतीय मानक 2026 (भाग 1): 1977);
- (घ) तापमान वृद्धि परीक्षण (भारतीय मानक 2026 (भाग 2) : 1977).

5. परीक्षण रिपोर्ट :- प्रत्येक यूनिट के परीक्षण परिणाम उपाबंध 'क' में रिपोर्ट किए जाएंगे।

उपाबंध क

परीक्षणों के परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए प्ररूप

1. वितरण ट्रांसफार्मर का ब्यौरे:

- (i) ब्रांड/मेक :
- (ii) माडल का नाम :
- (iii) प्रकार :
- (iv) रेटिड वोल्टता :
- (v) रेटिड आवृत्ति :
- (vi) रेटिड क्षमता :
- (vii) 50 प्रतिशत लोडिंग पर रेटिड कुल हानि :
- (viii) 100 प्रतिशत लोडिंग पर रेटिड कुल हानि :

2. परीक्षण सार

- (i) यथा लागू प्रत्येक परीक्षण टाइप के लिए इस पृष्ठ की पृथक प्रति तैयार करें
- (ii) परीक्षण की तारीख
- (iii) परीक्षण अधिकारी
- (iv) टेस्ट प्रकार : सभी लागू परीक्षण निम्नानुसार :

(क) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार वाइंडिंग प्रतिरोध का

माप

मापी गई मात्रा	
एच.वी. वाइंडिंग प्रतिरोध	
एल.वी. वाइंडिंग प्रतिरोध	

(ख) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार वोल्टता अनुपात और वोल्टता वेक्टर संबंध का माप।

वोल्टता अनुपात की माप :

यूवी (Uv)	वीडब्ल्यू (Vw)	डब्ल्यूयू (Wu)

वोल्टता वेक्टर संबंध की जांच :

(ग) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार प्रतिबाधा वोल्टता/शाट्सर्किट प्रतिबाधा और लोड हानि की माप

माप की गई मात्रा	
75.सेंटीग्रेड पर प्रतिशत प्रतिबाधा	
75.सेंटीग्रेड पर लोड हानि	

(घ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार शून्य लोड हानि और करंट की माप

	वोल्टता (V)	आवृत्ति (Hz)	शून्य लोड करंट (A)	शून्य लोड हानि (W)
शाट सर्किट के पूर्व				
शाट सर्किट के बाद				

(ङ) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार इंस्यूलेशन प्रतिबाधा का माप

इंस्यूलेशन प्रतिरोध	
एल.वी. वाइंडिंग के साथ एच.वी. वाइंडिंग और साथ-साथ टैंक का जोड़ा जाना तथा अर्थ किया जाना।	
एल.वी. वाइंडिंग के साथ एच.वी. वाइंडिंग और साथ-साथ टैंक का जोड़ा जाना तथा अर्थ किया जाना।	

(च) भारतीय मानक 2026 (भाग 3) : 1981 के अनुसार प्रेरित अति वोल्टता सह्यता परीक्षण।

(छ) भारतीय मानक 2026 (भाग 3) : 1981 के अनुसार वोल्ता सहयता

परीक्षण

1. पृथक स्रोत शक्ति आवृत्ति वोल्ता सहयता परीक्षण (क) एल.वी. वाइडिंग के साथ एच.वी. वाइडिंग और साथ-साथ टैंक का जोड़ा जाना तथा अर्थ किया जाना।	
(ख) एल.वी. वाइडिंग के साथ एच.वी. वाइडिंग आर साथ-साथ टैंक का जोड़ा जाना तथा अर्थ किया जाना।	
2. साठ सैंकड के लिए प्रेरित अति वोल्ता सहयता परीक्षण	

(ज) भारतीय मानक 2026 (भाग 3) : 1981 के अनुसार लाइटनिंग इम्पल्स

टेस्ट

इंपल्स कनेक्ट टू	अर्थ कनेक्ट टू	ऋणात्मक पोलेरिटी वोल्ता KV(शिखर)			ओससिलोग्राम सं. चैनल-1 वोल्ता चैनल 2 वोल्ता				
		आरएफ डब्ल्यू	100% प्रतिशत पूर्ण तरंग			आरएफ डब्ल्यू	100% प्रतिशत पूर्ण तरंग		
			पहली बार	दूसरी बार	तीसरी बार		पहली बार	दूसरी बार	तीसरी बार

एम्बियंट दशा :

(झ) भारतीय मानक 2026 (भाग 2) : 1977 के अनुसार तापक्रम वृद्धि

परीक्षण

* एच.वी. और एल.वी. वाइडिंग के लिए प्रतिरोध और समय (सेकेन्ड में) के बीच ग्राफ (सप्लाइ बंद अवधि)

शीर्ष तेल तापमान वृद्धि	
एच.वी. कुंडली तापमान वृद्धि	
एल.वी. कुंडली तापमान वृद्धि	

(ज) भारतीय मानक 2026 (भाग 1) : 1977 के अनुसार शॉट-सर्किट परीक्षण

* दर्शित किए जाने वाले शाट सर्किट के साथ ट्रांसफार्मर की गतिक क्षमता और अन्य नेमी परीक्षणों पर उसका प्रभाव

(ट) भारतीय मानक 2026 (भाग 2) : 1989 के अनुसार वायुदाब परीक्षण

अनुज्ञेय वायु दाब	मापित वायु दाब

(ठ) भारतीय मानक 1180 (भाग 1) : 1989 के अनुसार अनुज्ञेय फलक्स घनत्व और अधि फलक्सन

निर्माण आंकड़ों से संगणित फलक्स घनत्व

शून्य लोड वाले करंट का औसत (रेटिड पूर्ण लोड करंट क प्रतिशत)			
सौ प्रतिशत रेटिड वोल्टता (433 वोल्टता)		112.5 प्रतिशत रेटिड वोल्टता पर (487.12 वोल्टता)	
स्टैंडर्ड में दी गई अनुज्ञेय वेल्यू	मापित वेल्यू	स्टैंडर्ड में दी गई अनुज्ञेय वेल्यू	मापित वेल्यू

(ड) 50 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि

रेटिड वेल्यू (डब्ल्यू)	मापित वेल्यू (डब्ल्यू)
50 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि	50 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि
100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि	100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि

(v) सप्लाय वोल्टता : V

(vi) सप्लाय आवृत्ति : Hz

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2009

S.O. 185(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the energy consumption standards for star labelled distribution transformer as under:-

- (1) Every distribution transformer being manufactured, commercially purchased or sold in India shall -
 - (i) meet the compliance requirements of the type test parameters as follows:
 - a. Measurement of winding resistance as per IS 2026 (part I):1977.
 - b. Measurement of voltage ratio and check of voltage vector relationship as per IS 2026 (part I):1977.
 - c. Measurement of impedance voltage/short circuit impedance and load loss as per IS 2026 (part I):1977.
 - d. Measurement of no-load loss and current as per IS 2026 (part I):1977.
 - e. Measurement of insulation resistance as per IS 2026 (part I):1977.
 - f. Induced over-voltage withstand test as per IS 2026 (part 3):1981.
 - g. Separate-source voltage withstand test as per IS 2026 (part 3):1981.
 - h. Lightning impulse test as per IS 2026 (part 3):1981.
 - i. Temperature-rise test as per IS 2026 (part 2):1977.
 - j. Short-circuit test as per IS 2026 (part I):1977.
 - k. Air pressure test as per IS 1180 (part 1): 1989.
 - l. Permissible flux density and over fluxing as per IS 1180 (part 1): 1989
 - (ii) either carry BIS certification mark or the manufacturer should be certified against IS/ISO 9000 or above.
2. Star rating or star level plan.- (1) The energy label to be affixed to distribution transformer shall display a maximum of five stars with an interval of one star. The distribution transformers shall be rated from star one to star five based on their relative energy efficiencies or loss standards which is the total losses at 50% and 100% loading of the distribution transformer. The highest loss segment is defined as star one and lowest loss segment is defined as star five.

(2)The star level of the distribution transformer shall be determined by the total losses at 50% and 100% loading which shall not exceed the maximum values given below:

Rating	1 star		2 star		3 star		4 star		5 star	
	Max Losses at 50% (Watts)	Max Losses at 100% (Watts)	Max Losses at 50% (Watts)	Max Losses at 100% (Watts)	Max Losses at 50% (Watts)	Max Losses at 100% (Watts)	Max Losses at 50% (Watts)	Max Losses at 100% (Watts)	Max Losses at 50% (Watts)	Max Losses at 100% (Watts)
16	200	555	165	520	150	480	135	440	120	400
25	290	785	235	740	210	695	190	635	175	595
63	490	1415	430	1335	380	1250	340	1140	300	1050
100	700	2020	610	1910	520	1800	475	1650	435	1500
160	1000	2800	880	2550	770	2200	670	1950	570	1700
200	1130	3300	1010	3000	890	2700	780	2300	670	2100

3. Testing and tolerance.- (1) For the purpose of determining the star level, the distribution transformer shall be tested as per testing code and procedure as per IS 1180 (part 1): 1989 with all amendments as of date.

(2) The exception is, conditions on limits of temperature-rise. For the scheme the following would be used:-

Reduce the temperature rise limits of top oil and transformer winding from the existing IS 1180 (part 1): 1989 level of 45^o C and 55^o C to 35^o C & 40^o C.

(3) No positive tolerance shall be allowed on the maximum losses displayed on the label for both 50% & 100% loading values

4. Parameters and sampling for verification.- (1) Sampling for verification and challenge would be carried out after the deliveries are made to the utility on the basis of tender. Sampling would be guided by IS 2500 (part-1) -2000: Sampling Schemes indexed by Acceptance Quality Limit (AQL) for lot-by-lot inspection.

(2) The parameters for testing shall be as follows:-

- measurement of winding resistance [IS 2026(part1):1977];
- measurement of impedance voltage/short circuit impedance and load loss [IS2026 (part 1):11977];
- measurement of no-load loss and current [IS 2026(part 1):1977];
- temperature-rise test[IS 2026(part 2):1977].

5. Test report.- The results of tests of each unit shall be reported in Annexure A.

Annexure A
Form for reporting the results of tests

1. Details of distribution transformer

- (i) Brand/Make:
- (ii) Model name:
- (iii) Type:
- (iv) Rated voltage:
- (v) Rated frequency:
- (vi) Rated capacity:
- (vii) Rated Total Losses at 50% loading:
- (viii) Rated Total losses at 100% loading:

2. Test summary

- (i) Complete a separate copy of this page for each test type, as applicable
- (ii) Date of test:
- (iii) Test officer:
- (iv) Test type: all applicable tests as follows:

(a) Measurement of winding resistance as per IS 2026 (part I):1977.

Quantity Measured	
H.V. winding resistance	
L.V. winding resistance	

(b) Measurement of voltage ratio and check of voltage vector relationship as per IS 2026 (part I):1977.

Measurement of Voltage Ratio:

Before Short Circuit Test		
Uv	Vw	wu

Check Voltage Vector Relationship:

(c) Measurement of Impedance voltage/short circuit impedance and load loss as per IS 2026 (part I):1977.

Quantity Measured	
-------------------	--

% Impedance at 75°C	
Load Loss at 75 °C	

(d) Measurement of no-load loss and current as per IS 2026 (part I):1977.

	Voltage(V)	Frequency(Hz)	No-Load Current(A)	No-Load loss (W)
Before Short Circuit				
After Short Circuit.				

(e) Measurement of insulation resistance as per IS 2026 (part I):1977.

Insulation Resistance of	
H.V. winding with L.V windings & tank connected together and earthed	
L.V. winding with H.V. winding & tank connected together and earthed.	

(f) Induced over-voltage withstand test as per IS 2026 (part 3):1981.

(g) Separate-source voltage withstand test as per IS 2026 (part 3):1981.

1. Separate Source power frequency voltage withstand test on:	
a) H.V.winding with L.V. windings & tank connected together and earthed.	

b) L.V. winding with H.V.winding & tank connected together and earthed.	
2. Induced over-voltage withstand test for 60 seconds	

(h) **Lightning Impulse test as per IS 2026 (part 3):1981.**

Impulse Connected to	Earth Connected to	Negative Polarity Test			Voltage kV(Peak)			Oscillogram No.		
		RF W	100% Full wave		RF W	100% Full wave		Channel-1 Voltage	Channel-2 Current	
			1 st Shot	2 nd Shot		3 rd Shot	1 st Shot			2 nd Shot

The ambient conditions:

(i) **Temperature-rise test as per IS 2026 (part 2):1977.**

*the graph of resistance vs time in seconds(time of shut down) for H.V and L.V. winding

Top oil temperature rise	
H.V. winding temperature rise	
L.V. winding temperature rise	

(j) **Short-circuit test as per IS 2026 (part I):1977.**

*The Dynamic ability of the transformer to withstand the short circuit to be shown and its effect on the other routine tests.

(k) **Air pressure test as per IS 1180 (part 1): 1989.**

Permissible Air pressure	Measured Air pressure

(l) Permissible flux density and over fluxing as per IS 1180 (part 1): 1989

The Flux density calculated from manufacturers data.

Average no load Current (percentage of rated full load current)			
At 100 percent rated voltage(433V)		At 112.5 percent rated voltage(487.12V)	
Permissible value given in the standard	Measured value	Permissible value given in the standard	Measured value

(j) The total losses at 50 % and 100% loading

Rated Values(W)	Measured Values(W)
Total losses at 50% loading-	Total losses at 50% loading-
Total losses at 100% loading-	Total losses at 100% loading-

- (v) Supply voltage: V
 (vi) Supply frequency: Hz

[F. No. 10/6/2004-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 184(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबल पर विशिष्टियों को संप्रदर्शित करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है और यह निर्देश देती है कि किसी ऐसे साधित्र या साधित्रों के वर्ग, लेबलों पर ऐसी विशिष्टियां को और ऐसी रीति में जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट हैं, प्रदर्शित करेगी।

[फा. सं. 10/6/2004-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2009

S.O. 184(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the distribution transformers for display of particulars on label and direct that any such appliances or class of appliances shall display such particulars on labels in such manner as are specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Regulations, 2009.

[F. No. 10/6/2004-EC]

DEVENDER SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

का.आ. 185(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से सितारा लेबल वाले वितरण ट्रांसफार्मर के लिए निम्नानुसार ऊर्जा खपत मानक निर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

1. (1) भारत में निर्मित, वाणिज्यिक रूप से क्रय किया गया विक्रय किया गया प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर :-

(i) अपनी टाइप के परीक्षण मानदंडों की अनुपालन अपेक्षाओं को निम्नानुसार पूरी करेगा :



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2009/आषाढ़ 16, 1931

No. 114]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2009/ASADHA 16, 1931

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2009

सं. 2/11(5)/03-बी.ई.ई.-3.— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 नामक प्रारूप विनियमों को, भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खण्ड 4, तारीख 12 जनवरी, 2009 में अधिसूचना सं० 2/11(5)/03-बी.ई.ई.-3 तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां जनता को 12 जनवरी, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थी; और पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं; और इस सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अतः अब ब्यूरो, उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित, धारा 58 की उपधारा

(2) के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है।

(ख) "वितरण ट्रांसफार्मर" से भारत में विनिर्मित या वाणिज्यिक रूप से क्रय किया गया या विक्रय किया गया एक 11 के.वी. का 16, 25, 63, 100, 160 और 200 के.वी.ए. के मानक रेटिंग का तेल निमज्जित, वायु से शीतलित, तीन फेज और दोहरा कुंडलित किया हुआ गैर मुद्रित प्रकार का वाह्य वितरण ट्रांसफार्मर अभिप्रेत है;

(ग) "लेबल" से कोई लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या चित्रित विषय अभिप्रेत है, जो वितरण ट्रांसफार्मर पर चिपकाया गया है या प्रकट है।

(घ) "सितारा रेटिंग या सितारा स्तर" से वितरण ट्रांसफार्मर की ऊर्जा दक्षता को संप्रदर्शित करने के लिए ऊर्जा दक्षता का लेबल अभिप्रेत है जो सापेक्ष ऊर्जा दक्षता या हानि मानकों के आधार पर है जो वितरण ट्रांसफार्मर की 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की लोडिंग पर कुल हानि है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं।

3. लेबल पर प्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां - (1) प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां संप्रदर्शित की जाएगी, अर्थात्-

- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;
- (ख) ये उपकरण वितरण ट्रांसफार्मर है;
- (ग) यह तेल भरित, प्राकृतिक शीतलित प्रकार का है ;
- (घ) विनिर्माणकर्ता का नाम और ब्रांड;
- (ङ) परीक्षित क्षमता के.वी.ए. में;
- (च) वोल्टेज 11 के.वी. तक है;
- (छ) 50 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि वाट्स में;
100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल हानि वाट्स में;
- (ज) स्टार लेवल;
- (झ) निर्माण का वर्ष और मॉडल;
- (ञ) ब्यूरो की प्राधिकार संख्या

(2) डिजाइन, रंग, आकार और लेबल की अंतर्वस्तु वह होगी जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

4. लेबलों को प्रदर्शित करने की समय-सीमा - विनियम 3 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाले लेबल को इन विनियमों के प्रवर्तन में आने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मरों पर प्रदर्शित किया जाएगा।


5. लेबल के संप्रदर्शन की रीति - (1) लेबल वितरण ट्रांसफार्मर के सामने के आधार पर नाम पट्टिका के निकट लगाया जाएगा जिससे वह प्रमुख रूप से दिखाई दे।

अनुसूची


(विनियम 3(2) देखिए)

वितरण ट्रांसफार्मर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियों के ब्यारे — लेबल डिजाईन (अभिकल्प), आकार, रंग योजना और लेबल की अंतर्वस्तु में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(i) लेबल का निम्नलिखित विमाओं वाली डिजाइन, अर्थात्—



(ii) लेबल के लिए रंग योजना निम्नलिखित होगी, अर्थात्



478 GI/09-2

(iii) ब्यूरो के लोगो (प्रतीक चिह्न) के लिए निम्नलिखित रंग योजना होगी, अर्थात्

नीला:—

रंगत (H) – 239° संतृप्तता (S) : 64% चमकीलापन (B) 59%

ज्योतिर्मयता अथवा हल्कापन (L) : 28, रंग संबंधी घटक –a:24b:54

लाल (L):54 हरा (G):55 नीला (B): 151

स्यान (C): 97% मैजेन्टा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1%

वेब रंग कोड – #363797

हरा:—

रंगत (H) – 150° संतृप्तता (S) : 10% चमकीलापन (B) 67%


ज्योतिर्मयता अथवा हल्कापन (L) : 61, रंग संबंधी घटक –a:53b:32

लाल (L):0 हरा (G):170 नीला (B): 87

स्यान (C): 81% मैजेन्टा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब रंग कोड – #00AA56

(iv) वितरण ट्रांसफार्मर के लिए मुद्रित लेबल का पूर्ण नमूना निम्नलिखित होगा, अर्थात् :-



(2). लेबल की सामग्री, मौसमरोधी एवं न छूटने योग्य होगी।

अजय माथुर, महानिदेशक
[विज्ञापन-III/4/185/09-असा.]

**THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2009

No. 2/11(5)/03-BEE.-3.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Regulations, 2009, were published *vide* notification number 2/11(5)/03-BEE.-3, dated 12th January, 2009, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 12th January 2009, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on the 12th January, 2009;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (d) of section 14 of the said Act, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;

(b) "distribution transformer" means the transformer which is oil immersed, naturally air cooled, three phased, double wound, non-sealed, out door distribution transformer of standard ratings of 16, 25,

63, 100, 160 and 200 kVA of 11 kV which is manufactured or commercially purchased or sold in India;

- (c) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, the distribution transformer;
- (d) "section" means the section of the Act;
- (e) "star rating or star level" means the level of energy efficiency displayed on the label of distribution transformer on the basis of relative energy efficiencies or loss standards which is the total losses at fifty percent. loading and hundred percent. loading of the distribution transformer.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on the labels.- (1) On every distribution transformer the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

- (a) the Logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) that the equipment is a distribution transformer;
- (c) that it is a oil filled, naturally cooled type;
- (d) name of the manufacturer and brand;
- (e) capacity in kVA as tested;
- (f) voltage is upto 11kV;
- (g) total losses at 50% loading in watts;
- (h) total losses at 100% loading in watts;
- (i) star level;
- (j) model and year of manufacturing;
- (k) Bureau's authorisation number.


(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of Labels.- A label containing particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every distribution transformer within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

5. Manner of display of label.- The label shall be affixed on the front base of the distribution transformer near the name plate, so as to be prominently visible.

2478 GI/09-3

(ii) the following colour scheme for the label, namely:-



(iii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:-

BLUE -

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%
 Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54
 Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151
 Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%
 Web colour code - #363797

GREEN -

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%
 Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32
 Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87
 Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%
 Web colour code - #00AA56;

(iv) the following complete specimen of a printed label for distribution transformer, namely:-



Total Losses at :
 50% loading - 520 Watts
 100% loading - 1800 Watts

Equipment	: Distribution Transformer
Type	: Oil filled naturally cooled
Make	: XXX
Model / Year	:
Capacity	: 100kVA
Voltage	: upto 11kV



Under test conditions, when tested in accordance with IS 1180:1989

(2) Material of the label shall be of non-detachable weather proof type.

AJAY MATHUR, Director General
 [ADVT.-III/4/185/09/Exty.]